बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981

[बिहार अधिनियम 37, 1982]

(यथासंशोधित 31 मई, 1988 तक)

विषय-सूची।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
परिभाषाएं।
ईख बोर्ड की स्थापना।
बोर्ड के कृत्य।
बोर्ड की उप-समितियां।
बोर्ड की निधि ।
इलाका विकास परिषदों की स्थापना ।
परिषद् के कृत्य।
परिषद् की निधियां।
बोर्ड और परिषदों का निगमन, उनके कार्यों और कार्यवाहियों की व्यावृत्ति तथा लेखाओं की लेखा परीक्षा।
परिषद् का विघटन।
ईख आयुक्त की नियुक्ति ।
ईख पदाधिकारियों की नियुक्ति ।
ईख आयुक्त आदि के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता।
कारखानों में ईख की पेराई के लिए लाइसेंस।
यूनिट में पेराई और विनिर्माण के लिए लाइसेंस।
कारखानों के दखलकारों या यूनिट के स्वामियों को दिये गये लाइसेंसों की शर्तें।
किसी कारखाने या यूनिट के लाइसेंसों को रद्द या निलंबित करने की शक्ति।
यूनिट को स्थानान्तरित करने की शक्ति।
ईख आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील।
अस्तित्वशील लाइसेंसों का चालू रहना।
लाइसेंस फीस।
इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्ति।
कर्मचारी लाइसेंस।
प्रबंधक की नियुक्ति।
खरीद-एजेन्टों की नियुक्ति का प्रतिशेध।
कारखानें द्वारा अपेक्षित ईख की मात्रा का प्राक्कलन।
ईख की खरीद के प्रारम्भ की पूर्व शर्तें।
खरीद केन्द्रों की स्थापना।
रात्रि में ईख की तौल का प्रतिशेध।
आरक्षित क्षेत्र की घोषणा।
आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख की खरीद।

खण्ड

33. आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख की खरीद।
34. ईख क्षेत्रों का सर्वेक्षण।
35. पूंजी-संचारण।
36. कारखानों में उपयोग में लाये जाने के लिए ईख की किस्मों को अनुपयुक्त घोषित करने की शक्ति।
37. अनुपयुक्त बीज के वितरण का प्रतिशेष।
38. कारखानें के दखलकार द्वारा बीज के जखीरे का अनुरक्षण।
39. ईख की सही तौल का अभिलेखन।
40. खरीद केन्द्रों पर पहुंच-मार्गों आदि की व्यवस्था।
41. पशुचालित गाड़ी को रोक रखने के लिए प्रतिकार का भुगतान।
42. यूनिट की आपूरित ईख का न्यूनतम मूल्य।
43. ईख के मूल्य का भुगतान।
44. कटौती।
45. दावा रहित रकमें परिषद् की निधि में जमा की जायेगी।
46. कतिपय विवादों का निर्णय।
47. अन्तिम आदेशों का प्रवर्त्तन।
48. ईख की खरीद का कमीशन का दिया जाना।
49. ईख पर कर।
50. कारखानें के दखलकार द्वारा उधार दिया जाना।
51. कतिपय पावनों के संबंध में व्याज की दर।
52. अपराधों के लिए दण्ड।
53. कार्यवाही का चलाया जाना।
54. अपराध का शमन करने की शक्ति।
55. प्रतिभूतियों का समपहरण।
56. क्षतिपूर्त्ति।
57. ईख आयुक्त और अन्य व्यक्तियों का लोक-सेवक समझा जाना।
58. गवाहों को बुलाने और हाजिर कराने तथा दस्तावेज पेश करने की शक्ति।
59. कारखाने के दखलकार का अवधारण।
60. सहकारी समिति का अवधारण।
61. शक्तियों का सौंपा जाना।
62. सहकारी कारखानों या यूनिटों को अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त करने की शक्ति।
63. अपीलीय प्राधिकारी की अन्तर्वर्त्ती आदेश देने और अपील फाइल करने में हुए विलम्ब को माफ करने की शक्ति।
64. किसी निश्चित अवधि में कतिपय विधियों के अधीन शेषों और करों के अधिरोपण और संग्रहण की विधिमान्यता प्रदान करना।
65. नियमावली बनाने की शक्ति।
66. निरसन और व्यावृत्ति।

(राष्ट्रपति का 23 जनवरी 1982 को अनुमति प्राप्त बिहार गजट, असाधारण अंक, दिनांक 25 जनवरी 1982 में प्रकाशित)

चीनी कारखानों और खाण्डसारी चीनी विनिर्माण युनिटों में उपयोग के लिये आशयित ऊख के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण तथा ऊख के कराधान और उसके आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान-मंडल द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं।—इस अधिनियम में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित ऊख बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "ईख" से कारखाने या युनिट में उपयोग के लिए आशयित ऊख अभिप्रेत है ;

(ग) "ईख आयुक्त" से धारा 12 के अधीन ईख आयुक्त के रूप में नियुक्त पदाधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "ईख-उत्पादक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो आरक्षित क्षेत्र में ईख की खेती या तो स्वयं करता हो या अपने परिवार के सदस्यों से या मजदूरी पर काम करनेवाले मजदूरों से कराता हो और जो संबद्ध ग्राम में किसी सहकारी समिति का सदस्य न हो ;

(ङ) "ईख पदाधिकारी" से धारा 13 के अधीन नियुक्त ईख पदाधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अपर ईख पदाधिकारी भी है ;

(च) "समाहर्त्ता" से जिले का समाहर्त्ता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वह पदाधिकारी भी है जो उप-समाहर्त्ता की पंक्ति से नीचे का न हो तथा राज्य सरकार द्वारा जिसकी नियुक्ति इस अधिनियम के अधीन समाहर्त्ता के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए की गई हो ;

उद्देश्य और हेतु के लिए बिहार गजट, असाधारण अंक, दिनांक 14 दिसम्बर, 1981 देखें।

(छ) "सहकारी समिति" से वह समिति अभिप्रेत है जिसका निबंधन बिहार ऐंड उड़ीसा को-ऑपरेटिव, सोसाइटीज ऐक्ट, 1935 (वि०-उ० अ० 6, 1935) के अधीन हुआ है तथा जिसका एक उद्देश्य अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित ईख की बिक्री करना भी है और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन निबंधित ऐसी समितियों का संघ अर्थात् सहकारी विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ या व्यापारमंडल सहकारी समिति भी है ;

(ज) "परिषद्" से धारा 7 के अधीन स्थापित इलाका विकास परिषद् अभिप्रेत है ;

(झ) "पेराई-साल" से प्रतिवर्ष 1 जुलाई को आरम्भ होकर अगले वर्ष की 30 जून को समाप्त होनेवाला वर्ष अभिप्रेत है ;

(ञ) "कारखाना" से आसपास की जमीन सहित कोई परिसर अभिप्रेत है जिसके किसी भाग में निर्वात-पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी विनिर्मित की जाती हो ;

(ट) "प्रबंधक" से धारा 25 के अधीन नियुक्त प्रबंधक अभिप्रेत है ;

(ठ) "कारखाने का दखलकार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कारखाने में निर्वात-पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी विनिर्माण का कारबार करता हो और जिसको कारखाने के कामकाज पर चरमनियंत्रण हो;

(ड) "विहित" से नियमावली द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "मांग-पर्ची" से कारखाने के दखलकार द्वारा या उसकी ओर से जारी की गई वह पर्ची अभिप्रेत है जिसकी अपेक्षानुसार किसी ईख-उत्पादक या सहकारी समिति को आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख-पर्ची जारी करनेवाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से खरीदी जाने के लिये, उस पर्ची में विनिर्दिष्ट तारीख को और स्थान पर लानी हो ;

(ण) "आरक्षित क्षेत्र" से ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जहां ऊख का उत्पादन होता हो या होने की सम्भाव्यता हो और जो धारा 31 के अधीन किसी कारखानों के लिये आरक्षित हो ;

(त) "नियमावली" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(थ) "राज्य सरकार" से बिहार राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;

(द) "चीनी" से किसी भी प्रकार की ऐसी चीनी अभिप्रेत है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक ईख-शर्करा हो और इसके अन्तर्गत मिश्री या खाण्डसारी चीनी (खुला पाव-प्रक्रिया द्वारा बनाई गई चीनी) या भूरा चीनी या पेरी गई चीनी अथवा रवेदार या चूर्ण रूप में कोई चीनी अथवा किसी कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी या उसमें उत्पादित कच्ची चीनी भी है ;

(ध) "यूनिट" से ऐसा विनिर्माता एक अभिप्रेत है जो ईख रस से खाण्डसारी चीनी, गुड़, शक्कर, गुल, जागरी या राव का शक्तिचालित पेराई मशीन द्वारा विनिर्माण या उत्पादन में लगा या साधारणतः लगा हो ; और

(न) "शक्तिचालित पेराई मशीन यंत्र" से ऐसा पेराई यंत्र अभिप्रेत है जो डीजल, विद्युत् या भाप शक्ति से चालित हो और गुड़, शक्कर, गुल, जागरी, राव या खाण्डसारी चीनी के विनिर्माण के लिये ईख की पेराई तथा उससे रस निकालने में लगा या साधारणतः लगा हो ।

अध्याय 2

प्रशासन तंत्र

3. ऊख बोर्ड की स्थापना ।--(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उस तारीख से जो राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक बोर्ड की स्थापना की जायगी जिसका नाम बिहार राज्य ऊख बोर्ड होगा ।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) ईख के प्रभारी मंत्री और प्रभारी राज्य मंत्री जो क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे ;

(ख) बिहार विधान-मंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिये पांच सदस्य, जिनमें चार सदस्य बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से और एक सदस्य बिहार विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से निर्वाचित किए जायेंगे ;

(ग) सत्रह सदस्य जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुपात में नियुक्त किए जायेंगे :--

(*i*)	कारखाने	4
(*ii*)	यूनिट	1
(*iii*)	ईख-उत्पादक और सहकारी समितियां	5
(*iv*)	ऊख सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान प्राप्त अथवा ऊख एवं उसके उत्पादनों के विकास में अन्यथा अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति ।	5
(*v*)	श्रमिक	1
(*vi*)	खादी व ग्रामोद्योग आयोग ..	1

(घ) कृषि निदेशक, बिहार, ऊख अनुसंधान संस्थान के निदेशक, बिजली, सड़क-निर्माण; सिंचाई और लघु सिंचाई के मुख्य अभियंतागण तथा बिहार राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ के अध्यक्ष और ईख आयुक्त, जो पदेन सदस्य होंगे ; और

(ङ) राज्य सरकार के ऊख विभाग का सचिव अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अन्य पदाधिकारी, जो बोर्ड का पदेन सचिव होगा :

परन्तु बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की लेखा उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि में ऊख के प्रभारी मंत्री और इस उप-धारा के खंड (ई) के अधीन उक्त उद्घोषणा के अधीन विघटित राज्य विधान-सभा का प्रतिनिधित्व करने तक सदस्यों के स्थान में इसके लिये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य होंगे ;

परन्तु यह और कि इस उप-धारा के खंड (ग) के अधीन सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के पूर्व, उक्त समितियों की शीर्ष समिति की सिफारिशें मंगाई जाएंगी ।

(3) उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि में बोर्ड के अध्यक्ष को अपनी अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये किसी भी सदस्य का नाम निर्देशित करने की शक्ति होगी ।

(4) आरंभ में बोर्ड तीन वर्षों की अवधि के लिए गठित किया जाएगा और उसके बाद उतनी-उतनी ही अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाएगा । बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की पदावधि, यथास्थिति, बोर्ड के गठन या पुनर्गठन की अवधि के साथ ही कार्यवसित होगी :

परन्तु राज्य सरकार, यदि उसके विचार में ऐसा करना समीचीन हो तो, किसी भी समय, बोर्ड के किसी सदस्य का त्याग-पत्र स्वीकार कर सकेगी, और उप-धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन उस रिक्ति को भर सकेगी ।

(5) बोर्ड, उसकी कार्यकारिणी समिति या उप-समिति, अपने कृत्यों का निर्वहन और कार्य का संचालन उस रीति से करेगी तथा उन समयों और स्थानों पर अपनी बैठक करेगी एवं अपनी बैठकों में कार्य-संचालन के संबंध में उन नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो विहित की जायं ।

4. बोर्ड के कृत्य ।---(1) बोर्ड राज्य सरकार को निम्नलिखित विषयों में परामर्श देगा :--

(क) ऊख के उत्पादन, अनुसंधान, परिवहन और विक्रय संबंधी विकास योजनाओं का आयोजन ।

(ख) ईख की आपूर्ति, खरीद तथा तौल के विनियमन संबंधी विषय ;

(ग) राज्य में ऊख अनुसंधान संस्थान द्वारा परीक्षित ऊख की किस्में जो कारखाना के उपयोग के लिए उपयुक्त या अनुपयुक्त हों ;

(घ) कारखानों को आपूर्ति की जानेवाली ईख के मूल्य के विषय में सिफारिशें ;

(ङ) यूनिटों के स्वामियों द्वारा संदेय ईख के मूल्य का अवधारण ;

(च) एक ओर कारखानों के दखलकारों और प्रबंधकों तथा दूसरी ओर ईख-उत्पादक और सहकारी समितियां, इनके बीच स्वस्थ संबंध बनाए रखना; और

(छ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं ।

(2) बोर्ड उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त---

(क) परिषदों के कार्यकलाप का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, पुनर्विलोकन और समन्वय कर सकेगा तथा उसके लेखाओं की सवर्त्ती लेखा परीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगा जिसका अनुपालन परिषद् करेगी; और

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट संवर्त्ती लेखा परीक्षा की लागत पूर्णतः या अंशतः लोक मांग के रूप में वसूल कर सकेगा ।

(3) यदि कोई परिषद् उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन बोर्ड के किसी निदेश का पालन करने में चूक करे तो बोर्ड राज्य सरकार के विचारानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिये, जिसमें धारा 9 में विनिर्दिष्ट भुगतानों का पूर्णतः या अंशतः निलंबन भी शामिल है राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें ऐसी चूक के ब्योरे विनिर्दिष्ट रहेंगे ।

5. बोर्ड की उप-समितियां ।---(1) बोर्ड धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कृत्य के सम्पादन के लिए एक उप-समिति गठित कर सकेगा जिसमें उसके सदस्यों में से अधिक से-अधिक पांच सदस्य होंगे और इस प्रकार गठित उप-समिति अपने सदस्यों में से एक को संयोजक नियुक्त कर सकेगी

(2) उप-समिति को ऐसे किसी सरकारी या गैर-सरकारी विशेषज्ञ को सहयोग करने की शक्ति होगी जो उसे सौंपे गए विषय पर उसे सलाह देने के लिये अर्हित हो :

परन्तु इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को मतदान का अधिकार न होगा ।

6. बोर्ड की निधि।—(1) बोर्ड निम्नलिखित निधियों का प्रशासन करेगा:—

(i) धारा 49 के अधीन अनुदान के रूप में प्राप्त रकम;
(ii) धारा 9 के अधीन अन्तरित रकम; और
(iii) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकम।

(2) बोर्ड अपनी निधियों का उपयोग अपने कर्तव्यों और कृत्यों के संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिये कर सकेगा, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन अपने संकल्प द्वारा धारा (6) की उप-धारा (4) के अधीन सहयोजित व्यक्तियों सहित गैर-सरकारी सदस्यों को, यथास्थिति, बोर्ड या उप-समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिये यात्रा-भत्ता और बैठक-फीसों का भुगतान मंजूर कर सकेगा:

परन्तु धारा 49 के अधीन प्राप्त रकम के पांच प्रतिशत से कुछ भी अधिक, राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना प्रशासनिक व्यय के रूप में खर्च नहीं किया जायगा:

परन्तु यह और कि धारा 9 के अधीन अन्तरित रकम संबद्ध परिषद् के हित में ही खर्च की जायगी।

(3) निधियों का उपयोग करने में वित्तीय रूप से कमजोर परिषदों के और अपने स्थापना तथा कार्यारम्भ से पांचवां पेराई-साल न पूरा किए हुए कारखानों के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "नए कारखाने" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) क्षेत्रों के हित में अधिक-से-अधिक रकम खर्च करने की नीति अपनाई जाएगी और किसी पेराई-साल में बोर्ड द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन तदर्थ किये जाने वाले कुल व्यय का न्यूनतम अनुपात वह होगा जो विहित किया जाए।

7. इलाका विकास परिषदों की स्थापना।—(1) उस तारीख से, जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, हरेक आरक्षित क्षेत्र के लिए एक इलाका विकास परिषद् की स्थापना की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(क) जिला समाहर्ता या अनुमण्डलाधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी, जो अध्यक्ष होगा;
(ख) जिला कृषि पदाधिकारी या कृषि सहायक निदेशक (ऊख) या अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी।
(ग) ईख आयुक्त द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, जो सचिव होगा;
(घ) जिला अभियंता;

(ङ) स्थानीय ईख उत्पादकों और सहकारी समितियों के चार प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और जिनमें कम-से कम दो सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे और ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी धारा 62 में निर्दिष्ट सहकारी समिति द्वारा सिफारिश की गई हो; और
(च) कारखाने के दखलकार का एक प्रतिनिधि जो उसकी सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा;

परन्तु जहां आरक्षित क्षेत्र इस प्रकार गठित किया गया हो कि उसका विस्तार एक से अधिक अनुमंडलों या जिलों में हो, वहां अध्यक्ष की नियुक्ति और परिषद् की सदस्य संख्या-वृद्धि ऐसी रीति से की जाएगी जो आरक्षित क्षेत्र के सभी भागों का प्रतिनिधित्व उपबंधित करने के लिये विहित की जाए।

(2) आरंभ में परिषद् तीन वर्ष की अवधि के लिये गठित की जाएगी और उसके बाद वह उतनी ही अवधि के लिये पुनर्गठित की जाएगी।

(3) परिषद् के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की पदावधि, यथास्थिति परिषद् के गठन या पुनर्गठन की अवधि के साथ ही पर्यवसित होगी और उसके अन्तर्गत ऐसी कोई और अवधि भी होगी, जो यथास्थिति, गठन या पुनर्गठन की अवधि के पश्चात और परिषद् के अनुवर्ती पुनर्गठन के बीच व्यतीत हो।

परन्तु राज्य सरकार, यदि उसके विचार में ऐसा करना समीचीन हो तो किसी अन्य परिषद् के किसी सदस्य का त्याग-पत्र स्वीकार कर सकेगी और उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन, उस रिक्ति को भर सकेगी।

(4) परिषद् को अपने समक्ष के किसी खास विषय पर विचार-विमर्श के लिये उस विषय में परामर्श देने की योग्यता रखनेवाले राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी को अथवा किसी विशेषज्ञ को सहयोजित करने की शक्ति होगी;

परन्तु इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को मतदान का अधिकार न होगा।

(5) परिषद् अपने कृत्यों का पालन और कार्य का संचालन उस रीति से करेगी और उन समयों और स्थानों पर अपनी बैठकें करेगी तथा अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में उन नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो विहित की जाएं।

(6) यथाविहित विषयों पर यथाविहित रीति से विचार करने के लिये जिले की सभी परिषदों की संयुक्त बैठक की जा सकेगी।

(7) ऐसी बैठकों की अध्यक्षता जिले का समाहर्त्ता करेगा और परिषदों के सचिवों में से ईख आयुक्त द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति बैठक का संयोजक होगा।

8. परिषद् के कृत्य।—परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) ऊख से संबद्ध संचार, सिंचाई, मृदा-विश्लेषण तथा अन्य कृषि सुविधाओं के विकास के लिये विचार करके कार्यक्रम तैयार करना;

(ख) विकास योजना की सभी तात्विक बातों के कार्यान्वयन के लिये उपाय और साधन ढूढ़ निकालना, जिनके अन्तर्गत संचार एवं ईख की किस्मों का सुधार और विकास, उन्नत बीजों, उर्वरकों और खादों की आपूर्त्ति, पौधा-संरक्षण एवं रोग और विनाशकारी कीड़ों की रोकथाम तथा नियंत्रण भी है;

(ग) ईख के कृषि-विस्तार कार्य में सभी संभव सहायता देना;

(घ) ऊख की खेती के उन्नत तरीकों में कृषकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना; और

(ङ) आरक्षित क्षेत्र के सामान्य विकास से संबंधित या उसके साधक अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं।

9. परिषद् की निधियां।—(1) परिषद् निम्नलिखित रकमों का प्रशासन कर सकेगी:—

(i) परिषद् को राज्य सरकार द्वारा धारा 48 या 49 के अधीन या अन्यथा अनुदान के रूप में सौंपी गई रकम;

(ii) कारखानों, ईख-उत्पादकों और सहकारी समितियों द्वारा अंशदान के रूप में दी गई रकम;

(iii) कोई अन्य रकम जिसके परिषद् की निधि में जमा किए जाने की राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे; और

(iv) अन्य किसी स्रोत से प्राप्त रकम।

(2) परिषद् अपनी निधियों का उपयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के पालन के संबंध में खर्च की पूर्ति के लिये करेगी तथा धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन सहयोजित व्यक्तियों सहित अपने गैर-सरकारी सदस्यों को परिषद् की बैठकों या धारा 7 की उप-धारा (6) के अधीन संयुक्त बैठकों में उपस्थित होने के लिये उन दरों से भत्तों और बैठक-फीसों का भुगतान कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा, बोर्ड से परामर्श करके मंजूर की जाएं।

(3) परिषद् प्रशासनिक व्ययों के लिये अपनी निधियों का उपयोग विहित सीमाओं के भीतर करेगी।

(4) यदि परिषद् किसी पेराई-साल से संबंधित किसी विकास-कार्य की कार्यान्विति उसके सुधार कार्यक्रम में शामिल किए जाने से दो साल के भीतर करने में चूक करे, तो संबद्ध राशि बोर्ड को अन्तरित कर दी जायगी और बोर्ड को उसे खर्च करने की शक्ति होगी तथा परिषद् ऐसी राशि के संबंध में बोर्ड के आदेश का अनुपालन करेगी।

10. बोर्ड और परिषदों का निगमन, उनके कार्यों और कार्यवाहियों की व्यावृत्ति तथा लेखाओं की लेखा परीक्षा।—(1) बोर्ड और प्रत्येक परिषद् उस नाम से निगमित निकाय होगी जिससे उसकी स्थापना की गई हो। प्रत्येक का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे स्थावर और जंगम, दोनों प्रकार की सम्पत्तियां अर्जित करने, धारण करने और निपटाने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह अपने नाम से वाद लाएगी और उसके नाम से उस पर वाद लाया जाएगा।

(2) बोर्ड या किसी परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित किसी कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराई जा सकेगी :—

(क) कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि, या

(ग) उसकी कार्यवाहियों में ऐसी कोई अनियमितता जिससे मामले के गुणानुगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

(3) प्रत्येक बोर्ड और परिषद् की लेखाओं की लेखा परीक्षा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक करेगा :

परन्तु राज्य सरकार इस धारा के अधीन लेखा परीक्षक को नियुक्त करने के बदले, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दें सकेगी कि बोर्ड या परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा बिहार ऐंड उड़ीसा लोकल फंड आडिट ऐक्ट, 1925 (बि० उ० अ० 2, 1925) के अधीन होगी तथा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोर्ड या परिषद् स्थानीय प्राधिकारी और उसकी निधि स्थानीय निधि समझी जायगी।

(4) लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट, यथास्थिति, बोर्ड या परिषद् को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार के पास भेजेगा। राज्य सरकार बोर्ड या परिषद् को उक्त रिपोर्ट के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के बाद उसपर ऐसे निदेश देगी, जो वह उचित समझे और बोर्ड या परिषद् उन निदेशों का पालन करेगी।

(5) बिहार ऐंड उड़ीसा लोकल फंड ऑडिट ऐक्ट, 1925 (बि० उ०अ० 2, 1925) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक से भिन्न लेखा परीक्षक को, यथा-स्थिति, बोर्ड या परिषद् की निधि से विहित पारिश्रमिक दिया जाएगा।

11. परिषद् का विघटन।—(1) यदि राज्य सरकार की राय में कोई परिषद् इस अधिनियम पर नियमावली के अधीन अपने कर्त्तव्यों और कृत्यों के पालन में लगातार उपेक्षा करे अथवा ऐसा कोई कार्य करे जो उसके हित के प्रतिकूल हो अथवा धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन बोर्ड के किसी निदेश की जान-बूझकर अवज्ञा करे अथवा उचित रूप से कृत्य न कर रही हो तो राज्य सरकार परिषद् को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद किसी भी समय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि परिषद् अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को और अवधि के लिये विघटित हो जाएगी।

(2) जब परिषद् उप-धारा (1) के अधीन विघटित कर दी जाए, तब अध्यक्ष और सचिव सहित परिषद् के सभी सदस्यों के बारे में यह समझा जायगा कि उन्होंने विघटन की तारीख से अपने पद खाली कर दिए हैं, लेकिन उससे पुनर्नियुक्ति या पुनर्मनोनयन के लिए उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा तथा विघटन की अवधि में परिषद् की सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिसे या जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।

(3) विघटन के छः महीने के भीतर ही परिषद् धारा 7 के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।

12. ईख आयुक्त की नियुक्ति।—(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ईख आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये बिहार राज्य का ईख आयुक्त नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह योग्य समझे, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो उन्हें सौंपी जाएं, ईख आयुक्त को सहायता करने के लिए अपर ईख आयुक्त, संयुक्त ईख आयुक्त, उप-ईख आयुक्त और सहायक ईख आयुक्त नियुक्त कर सकेगी और उन्हें अपने-अपने अधिक्षेत्र के भीतर ईख आयुक्त की कोई या सभी शक्तियों एवं कर्त्तव्य प्रदत्त और अधिरोपित कर सकेगी।

13. ईख पदाधिकारियों की नियुक्ति।—(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह योग्य समझे, इस अधिनियम के

प्रयोजनार्थ ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो उन्हें सौंपी जाएं, ईख पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) ईख-आयुक्त, ईख-आयुक्त की सहायता करने के लिये धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जिला दंडाधिकारी और प्रत्येक अनुमंडल दंडाधिकारी अपने-अपने अधिक्षेत्र के भीतर पदेन ईख पदाधिकारी होगा।

(3) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे पदाधिकारियों को जिन्हें वह योग्य समझे, इस अधिनियम के किसी या सभी प्रयोजनों के लिये, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो उक्त सरकार उन्हें क्रमशः सौंपे, अपर ईख पदाधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी।

(4) किसी क्षेत्र में, जहां एक से अधिक ईख पदाधिकारी हों, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा हरेक ईख पदाधिकारी द्वारा पालनीय कृत्य घोषित कर सकेगी।

(5) ईख पदाधिकारी अपने अधिक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर—

(क) किसी भी ऐसे स्थान में, जो कारखाना या यूनिट या गोदाम हो या जिसे इस रूप में प्रयुक्त होने वाला विश्वास करने के लिये उसके पास कारण हो अथवा किसी ऐसे स्थान में जहां ईख की तौल होती हो या ईख का मूल्य चुकाया जाता हो, प्रवेश कर सकेगा और महातुला या तुला या तौल के लिये व्यवहृत किसी अन्य यंत्र की ओर ईख की खरीद के संबंध में रखे गये अभिलेखों, पंजियों और लेखाओं की ऐसी परीक्षा कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे;

(ख) ईख की गाड़ियों या रेल के डिब्बों एवं ट्रकों तथा परिवहन के अन्य साधनों से ईख के प्रेषणों की तौल या पुनः तौल अपनी उपस्थिति में करा सकेगा :

परन्तु साधारणतः वह ईख जो लद चुकी हो, बिना किन्हीं विशेष परिस्थितियों के जिनकी लिखित सूचना कारखाने के प्रबन्धक तथा ईख-आयुक्त को दी जाएगी पुनः तौल के लिये उतारी नहीं जाएगी;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकेगा जिसकी परीक्षा करना वह अपने कर्त्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिये उचित समझे;

(घ) कारखाने के दखलकार या प्रबंधक या यूनिट के स्वामी से ईख के उत्पादन, आपूर्त्ति या पेराई, चीनी के विनिर्माण एवं उत्पादित, निर्मित या भण्डार में रखी हुई चीनी, राव या छोआ की मात्रा या किस्म एवं ईख के मूल्य के भुगतान संबंधी कोई जानकारी मांग सकेगा;

(ङ) किसी ऊख-उत्पादक या सहकारी समिति से ऊख या ईख के उत्पादन, खेती एवं आपूर्त्ति तथा ईख के मूल्य के भुगतान के बारे में कोई जानकारी मांग सकेगा; और

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो विहित या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित हों।

(6) जहां ईख पदाधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि इस अधिनियमों, नियमावली या उसके अधीन दिए गए किसी लाइसेंस की बन्धेजों या शर्तों का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जानेवाला है, वहां वह—

(क) ऐसे उल्लंघनों से संबद्ध कोई बही, लेखा या अन्य कागजात प्रस्तुत करने के लिये यूनिट के स्वामी को निदेश दे सकेगा;

(ख) यूनिट या उसके परिसर के किसी भाग या यूनिट के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाए जाने वाले किसी स्थान का निरीक्षण कर सकेगा या दो साक्षियों की उपस्थिति में, उसे तोड़कर खोल सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ग) ऐसे उल्लंघनों से संबद्ध व्यवहार प्रदर्शित करनेवाले कागजात से उद्धरण या उसकी नकल ले या लिवा सकेगा;

(घ) शक्तिचालित कोल्हू सहित यूनिट की किसी मशीनरी की दो साक्षियों की उपस्थिति में, तलाशी ले सकेगा, उसे अभिगृहीत कर सकेगा और उसे निष्क्रिय बना देने के लिये उसके किसी महत्वपूर्ण पुर्जे को हटा सकेगा;

(ङ) ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यथास्थिति, कारखाने के दखलकार या यूनिट के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से ईख या ईख रस की खरीद या ईख के मूल्य के भुगतान से संबंधित कारखाना या यूनिट के लेखे, पंजियां या कागजात अभिगृहीत कर सकेगा और उनके लिये रसीद देगा। इस प्रकार अभिगृहीत लेखे, पंजियां और कागजात तबतक रखे जायेंगे जबतक उनकी परीक्षा के लिये या धारा 52 के अधीन अभियोजन या धारा 57 के अधीन किसी कार्यवाही के लिये उन्हें रखने की युक्तियुक्त आवश्यकता हो तथा उसके बाद वे विहित रीति से लौटा दिये जायेंगे :

परन्तु यदि ईख पदाधिकारी अभिगृहीत लेखे, पंजियां या कागजात नब्बे से अधिक दिन अपने पास रखे, तो ऐसा करने के लिये कारण लेखबद्ध किये जायेंगे और ईख आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायगा।

स्पष्टीकरण—खंड (घ) के प्रयोजनार्थ "शक्तिचालित कोल्हू" शब्द से डिजेल, बिजली या वाष्प शक्ति से चलने वाला और राव या खांडसारी चीनी के विनिर्माण के लिये ईख पेरने और उसका रस निकालने के काम में लगा या साधारणतः लगा कोल्हू अभिप्रेत है।

(7) ईख पदाधिकारी अपने अधिक्षेत्र के बाहर अवस्थित किसी कारखाने के दखलकार, किसी यूनिट के स्वामी या किसी सहकारी समिति के सचिव से निम्नलिखित के संबंध में जानकारी मांग सकेगा यदि ऐसा दखलकार या स्वामी, या ऐसे सहकारी समिति उसके अधिक्षेत्र के भीतर उत्पादित ईख या ऐसी ईख का रस खरीदती हो—

(i) ईख का उत्पादन, खरीद, आपूर्त्ति या सर्वेक्षण, ईख का मूल्य, ईख के मूल्य में से काटी गयी रकम और धारा 44 के अधीन उसका जमा किया जाना; या

(ii) ईख के रस का उत्पादन या आपूर्त्ति और उसका मूल्य।

(8) ईख पदाधिकारी, ईख की साम्यपूर्ण खरीद के लिये ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और ऐसे अनुदेशों का अनुपालन तुरन्त किया जायगा :

परन्तु विहित प्राधिकारी, या तो स्वतः या किसी संबद्ध पक्षकार के आवेदन पर अनुदेश का प्रवर्त्तन निलम्बित कर सकेगा और संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, अनुदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा और पुनरीक्षण में दिया गया उसका आदेश अन्तिम होगा।

(9) कारखाने का दखलकार, यूनिट का स्वामी, उनकी ओर से कार्य करनेवाले व्यक्ति, प्रत्येक ईखोत्पादक या ईखोत्पादक या अन्य व्यक्ति या सहकारी समिति इस धारा के अधीन जारी किये गये आदेश, निदेश या अनुदेश का अनुपालन करेगी।

14. ईख आयुक्त आदि के रूप में नियुक्ति के लिये निरर्हता।—कोई भी व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी कारखाने या यूनिट में या वहां की जानेवाली किसी प्रक्रिया या कारबार में, या तत्सम्बद्ध किसी पेटेंट या मशीनरी में हित हो ईख आयुक्त की सहायता करने के लिये अथवा ईख आयुक्त या ईख पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा तथा ऐसी नियुक्ति के बाद यदि कोई व्यक्ति उक्त रूप से हितबद्ध हो जाय तो वह उक्त पद पर नहीं रहेगा।

अध्याय 3

लाइसेंस

15. कारखाने में ईख की पेराई के लिये लाइसेंस।---(1) किसी कारखाने में कोई ईख तबतक नहीं पेरी जायगी जबतक कि उसका दखलकार राज्य सरकार से विहित फारम में लाइसेंस न प्राप्त कर ले जो संबद्ध पेराई-साल में उतनी मात्रा में ईख पेरने का प्राधिकार दे जितनी लाइसेंस में विनिर्दिष्ट हो।

परन्तु लाइसेंस में विनिर्दिष्ट मात्रा धारा 27 के अधीन प्रकाशित मात्रा से अधिक न होगी।

(2) राज्य सरकार के पास विहित फारम में और विहित रीति से आवेदन करने पर लाइसेंस दिया जायगा :

परन्तु राज्य सरकार किसी कारखाने के संबंध में लाइसेंस देने से इनकार कर सकेगी, यदि---

(क) उसने पूर्व में दिये गये किसी लाइसेंस को पहले ही रद्द कर दिया हो या उसे नवीकृत करने से इनकार कर दिया हो, या

(ख) पूर्व में दिये गये लाइसेंस को पिछले पेराई-साल के लिये नवीकृत करने के लिये कोई आवेदन न दिया गया हो।

(3) संबद्ध पेराई-साल में कारखाने में पेरी गयी ईख की मात्रा, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही लाइसेंस में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक होगी, न कि अन्यथा।

16. यूनिट में पेराई और विनिर्माण के लिये लाइसेंस।---(1) किसी भी यूनिट में संबद्ध पेराई-साल में राव या खांडसारी चीनी या गुड़, शक्कर, गुल, राव, अथवा जागरी के विनिर्माण के लिये ईख या ईख रस की खरीद ऐसे लाइसेंस के अधीन तथा उसकी बन्धेजों और शर्त्तों के अनुसार हीं की जायगी, अन्यथा नहीं, जिसे यूनिट का स्वामी ईख आयुक्त से, उसके पास आवेदन करके और विहित प्राधिकारी के पास विहित रीति से, उतनी रकम, यदि कोई हो; जमा करके प्राप्त करे जो लाइसेंस की शर्त्तों के सम्यक रूप में पालनार्थ प्रतिभूति के रूप में विहित हो :

परन्तु जहां यूनिट में यूनिट के स्वामी द्वारा उत्पादित ईख ही पेरी जाती हो, तथा यूनिट में उपयोग के लिये न तो अन्य ईख और न ईख रस ही खरीदा जाता हो, वहां यूनिट के स्वामी से लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा न की जायगी।

(2) यदि यूनिट के स्वामी और संबद्ध कारखाने के दखलकार को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ईख आयुक्त का समाधान हो जाय कि यूनिट से उस दखलकार द्वारा चीनी के उत्पादन में असम्यक रूप से ह्रास होगा, तो वह लाइसेंस देना अस्वीकार कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन दिया गया लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन जमा की गयी प्रतिभूति विहित रीति से रखी, समपाहृत और पुनर्भरित की जायगी और ऐसी किसी अवधि के दौरान जिसमें उक्त जमा की गयी रकम समपहरण के कारण ह्रासित या निर्वापित हो जाय और पुनर्भरित न की जाय, लाइसेंस रद्द किया गया समझा जायगा।

17. कारखानों के दखलकारों या यूनिटों के स्वामियों को दिये गये लाइसेंस की शर्त्तें।--(1) धारा 15 के अधीन दिया गया लाइसेंस उन शर्त्तों के अध्यधीन होगा जो राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों के संबंध में अधिरोपित करें, अर्थात्---

(क) पेराई साल में पेरी जानेवाली ईख की मात्रा।

(ख) ईख पेरने के प्रयोजनार्थ कारखाना चालू करने और बंद करने की तारीखें; और

(ग) अन्य ऐसे आनुषंगिक विषय जो विहित किये जायं।

(2) धारा 16 के अधीन दिया गया लाइसेंस उन शर्त्तों के अध्यधीन होगा जो ईख आयुक्त, बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकथित सामान्य सिद्धांत के अनुरूप, निम्नलिखित किसी या सभी विषयों के संबंध में अधिरोपित करें, अर्थात् :---

(क) संबद्ध पेराई-साल में खरीदी जानेवाली ईख या खरीदे जाने वाले ईख रस की अधिकतम मात्रा;

(ख) क्षेत्र में विद्यमान किसी सहकारी समिति के माध्यम से ईख या ईख-रस की पूर्णतः या भागतः खरीद तथा उस समिति को, ईख आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी दर से कमीशन का भुगतान जो धारा 48 के अधीन उस क्षेत्र में किसी सहकारी समिति को संदेय दर से अधिक न हो;

(ग) यूनिट की कार्यावधि और काम के घंटे;

(घ) जिन प्रयोजनों के लिये लाइसेंस दिया गया हो उनसे भिन्न प्रयोजनों के लिये यूनिट के उपयोग का प्रतिषेध;

(ङ) पूर्व अनुज्ञा के बिना यूनिट के विस्तार, उसमें वृद्धि या परिवर्त्तन या उसके स्थान परिवर्त्तन का प्रतिषेध;

(च) यूनिट या उसके किसी भाग के अन्तरण या बिक्री की दशा में दी जाने वाली सूचना;

(छ) पेरी गयी ईख, उपयोजित ईख रस, उत्पादित, भंडार में रखी गयी या बाहर भेजी गयी राव या खांडसारी चीनी या गुड़, शक्कर, गुल अथवा जागरी के लेखाओं का रखा जाना और निरीक्षण और परीक्षा के लिये मांगे जाने पर तत्संबंधी अभिलेखों का पेश किया जाना ;

(ज) यूनिट के परिसर में ईख पदाधिकारी की अव्यवहित पहुंच का अनुज्ञात होना ; और

(झ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायं, जिनके अन्तर्गत खरीदी गयी ईख या उत्पादित खांडसारी-चीनी या गुड़, शक्कर, गुल अथवा जागरी अथवा राव का मूल्य और उसका भुगतान, पैकिंग, निपटान, परिदान या वितरण भी हैं ।

18. किसी कारखाने या यूनिट के लाइसेंस को रद्द या निलंबित करने की शक्ति ।—यदि धारा 15 या 16 के अधीन दिये गये लाइसेंस का लाइसेंसधारी लाइसेंस की शर्तों को किसी प्रकार पंच करे या इस अधिनियम या नियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन करें तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या ईख आयुक्त (लाइसेंसधारी के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित आदेश द्वारा लाइसेंस को रद्द या निलम्बित कर सकेगा ।

19. यूनिट को स्थानान्तरित करने की शक्ति ।—(1) यदि ईख आयुक्त का समाधान हो जाय कि कोई यूनिट संबद्ध कारखाने के चीनी उत्पादन का असम्यक् रूप से ह्रास करती हो तो वह, इस निमित्त जारी किये गये लिखित आदेश द्वारा यूनिट के स्वामी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह यूनिट को हटाकर आरक्षित क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर ले जाय जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो :

परन्तु हटाने का ऐसा आदेश तबतक जारी न किया जायगा जबतक संबद्ध कारखाने का दखलकार ऐसे स्थानान्तरण के खर्च के भुगतान का भार अपने ऊपर न ले, जो, पक्षकारों के बीच एकरार के आधार पर, अथवा यदि ऐसा कोई करार न हो, तो उसके स्थानान्तरण मद्धे लगनेवाले खर्च और उसके परिकलन के आधार पर, के विषय में, पक्षकारों को लिखित अभिवेदन करने का अवसर देने के बाद, उचित और युक्तियुक्त आधार पर, ईख आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाय :

परन्तु यह और कि जहां यूनिट में यूनिट के स्वामी द्वारा उत्पादित ऊख ही पेरी जाती हो तथा यूनिट में उपयोग के लिये न तो अन्य ईख और न ईख रस ही खरीदा जाता हो वहां यूनिट के स्वामी से उसे स्थानान्तरित करने की अपेक्षा न की जायगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ईख आयुक्त के आदेश जारी करने पर यूनिट का स्वामी तुरन्त यूनिट का कार्य रोक देगा और लाइसेंस को परिवर्तित स्थल की प्रविष्टि के लिये ईख आयुक्त के समक्ष पेश करेगा ।

20. ईख आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील ।—धारा 16, 18 या 19 के अधीन ईख आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा ।

21. अस्तित्वशील लाइसेंसों का चालू रहना ।—(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के समय किसी कारखाने के दखलकार या यूनिटों के स्वामी द्वारा बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1974 (वि०अ० 15, 1974) के अधीन धारित लाइसेंस पेराई-साल के शेषांश के लिये उसी प्रकार विधिमान्य रहेगा मानो वह लाइसेंस इस अधिनियम के अधीन दिया गया हो ।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अस्तित्वशील लाइसेंस को इस अधिनियम के अधीन एक नये लाइसेंस से बदल दिया जायगा अगर इसके निमित्त, यथास्थिति, धारा 15 या 16 के अधीन लाइसेंस दिये जाने के लिये विहित अवधि के भीतर आवेदन किया जाय और विहित फ़ीस का भुगतान कर दिया जाय ।

22. लाइसेंस-फीस ।—(1) इस अध्याय के अधीन दिये गये लाइसेंस के लिये ऐसी फीस का भुगतान किया जायगा जो विहित की जाय ।

(2) कारखानों या यूनिटों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये फीस के भिन्न-भिन्न मान विहित किए जा सकेंगे ।

23. इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्ति ।—यदि किसी व्यक्तिवर्ग के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के किसी या सभी उपबन्धों का ऐसे व्यक्तिवर्ग पर लागू होना असामयिक होगा अथवा उससे कठिनाई होगी तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तिवर्ग को उन उपबंधों के प्रवर्त्तन से विमुक्त कर सकेगी ।

24. कर्मचारी लाइसेंस ।—(1) यदि सम्बद्ध कारखाने के दखलकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ईख उत्पादकों तथा सहकारी समितियों के हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिये किसी भी क्षेत्र में ईख की खरीद तथा उसके मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में काम करने वाले कारखाना कर्मचारियों की गतिविधियों को लाइसेंस द्वारा नियन्त्रित करना समीचीन है तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसे क्षेत्र में ऐसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तिवर्ग को, जिसे विहित रीति से लाइसेंस न दिया गया हो, कारखाने के दखलकार या प्रबन्धक द्वारा ईख की खरीद के लिये या ईख के मूल्य के भुगतान के लिये किसी भी संव्यवहार के सम्बन्ध में नियोजित न किया जाय ।

(2) किसी भी व्यक्ति की उप-धारा (1) के अधीन लाइसेंस तबतक न दिया जायगा जबतक कि ऐसा व्यक्ति विहित धनराशि विहित रीति से प्रतिभूति के रूप में जमा न कर दे ।

(3) जहां प्रतिभूति धारा 57 की उप-धारा (2) के अधीन पूर्णतः या ांशतः समपहृत की गयी हो और लाइसेंसधारी ऐसे समपहरण से पन्द्रह दिनों के भीतर ही उसका पुनर्भरण न करे, वहां लाइसेंस रद्द समझी जायगी ।

अध्याय 4

ईख की खरीद और आपूर्त्ति

25. प्रबंधक की नियुक्ति ।—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिनों के भीतर और उसके बाद प्रति पेराई-साल के प्रारंभ के पूर्व उतनी ही अवधि के भीतर कारखाने का दखलकार इस अधिनियम, या नियमावली के योजनार्थ प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की सूचना समाहर्त्ता को भेजेगा ;

परन्तु इस अधिनियम के अधीन प्रबंधक की नियुक्ति की प्रथम सूचना जबतक न भेजी जाय तबतक बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश 1974 (वि0अ0 15, 1974) के अधीन प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया या नियुक्त समझा गया व्यक्ति इस अधिनियम, के अधीन प्रबंधक समझा जायगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति तबतक प्रबंधक के रूप में नियुक्त न समझा जायगा जबतक कि उसके द्वारा या उसकी ओर से प्रतिभूति के रूप में दो हजार पांच सौ रुपयों की राशि संबद्ध समाहर्त्ता के पास विहित रीति से जमा न कर दी जाय ।

(3) जब कभी कोई नया प्रबंधक नियुक्त किया जाय, कारखाने का दखलकार समाहर्त्ता को उस परिवर्त्तन की लिखित सूचना उस तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर भेज देगा जिस तारीख को नया प्रबंधक अपने कार्य का भार ग्रहण करे ।

(4) ऐसी किसी अवधि में जिसके लिए उप-धारा (1) और (2) के उपबन्धों का अनुपालन किया जाय या प्रबन्धक के रूप में नियुक्त व्यक्ति कारखाने का प्रबन्ध न करे या धारा 57 की उप-धारा (2) के अधीन समपहरण की हद तक उसकी प्रतिभूति की राशि पुनर्भरित न की जाय, इस अधिनियम, और नियमावली के प्रयोजनार्थ कारखाने का भूदखलकार कारखाने का प्रबन्धक समझा जायगा ।

26. खरीद-एजेंटों की नियुक्ति का प्रतिषेध ।—(1) कारखाने का दखलकार या प्रबंधक ईख की तौल या खरीद या ईख के मूल्य के भुगतान से संबद्ध कार्यों का सम्पादन वैतनिक कर्मचारियों की सहायता से कर सकेगा ।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन कारखाने का दखलकार या प्रबंधक उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये न तो किसी व्यक्ति को खरीद-एजेंट के रूप में नियुक्त करेगा, न ऐसे किसी प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति की सेवाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद-एजेंट के रूप में उपयोग करेगा ।

27. कारखाने द्वारा अपेक्षित ईख की मात्रा का प्राक्कलन ।—(1) प्रत्येक कारखाने का दखलकार प्रत्येक पेराई-साल के पूर्व विहित तारीख को या उसके पूर्व, ईख आयुक्त के पास विहित रीति से इस विषय में प्राक्कलन भेजेगा कि उस पेराई-साल के दौरान कारखाने में कितनी ईख अपेक्षित होगी ।

(2) ईख आयुक्त उप-धारा (1) के अधीन भेजे गए प्रत्येक प्राक्कलन की परीक्षा करेगा और जहां किसी कारखाने के दखलकार ने उप-धारा (1) के अधीन प्राक्कलन प्रस्तुत करने में चूक की हो, वहां वह स्वयं विहित रीति से प्राक्कलन तैयार करेगा और उसे विहित रीति से वैसे किन्हीं रूपभेदों के साथ प्रकाशित करेगा जो वह संबद्ध परिषद् के सारा परामर्श के बाद उचित समझे ।

(3) विहित प्राधिकारी या तो स्वतः या उप-धारा (2) के अधीन प्राक्कलन के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर उसके पास कारखाने के दखलकार के आवेदन करने पर, उक्त उप-धारा के अधीन प्रकाशित प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर सकेगा और वह प्राधिकारी इस प्रकार पुनरीक्षित प्राक्कलन को विहित रीति से प्रकाशित करायेगा ।

28. ईख की खरीद के प्रारंभ की पूर्व शर्त्तें ।—(1) किसी कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति ईख की खरीद तबतक प्रारंभ नहीं करेगा जबतक कि निम्नलिखित विषयों के संबंध में यथाविहित समुचित व्यवस्था न कर ली जाय , अर्थात्—

(क) खरीदी जानेवाली ईख की तौल;
(ख) खरीदी गयी ईख के मूल्य का भुगतान;
(ग) ईख की गाड़ियों के ठहरने का स्थान;
(घ) तौल की जगह तक जाने के लिये पहुंच-मार्ग; और
(ङ) मांग-पंचियों का वितरण ।

(2) जहां धारा 34 के अधीन सर्वेक्षण न किया गया हो, वहां कारखाने का दखलकार ईख की खड़ी फसल का सर्वेक्षण ईख की खरीद प्रारंभ होने के पूर्व विहित रीति से कर लेगा ।

29. खरीद-केन्द्रों की स्थापना ।—(1) किसी कारखाने का दखलकार या किसी सहकारी समिति का सचिव, ईख की खरीद के प्रारंभ से कम-से-कम तीस दिन पूर्व, समाहर्त्ता को लिखित सूचना देने के बाद खरीद-केन्द्र स्थापित कर सकेगा और कारखाने का दखलकार या सहकारी समिति का सचिव समाहर्त्ता को दी गयी सूचना की प्रतियां संबद्ध ईख पदाधिकारी और ईख आयुक्त के पास फौरन भेज देगा :

परन्तु अन्य परिस्थितियों में, किसी खरीद-केन्द्र की स्थापना, समाहर्त्ता के पूर्व अनुमोदन के अल्पतर सूचना पर भी की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि किसी रेल स्टेशन पर, या किसी अन्य कारखाने को ईख की आपूर्ति के लिए पहले से स्थापित किसी खरीद केन्द्र से आठ किलोमीटर के भीतर किसी स्थान पर खरीद-केन्द्र की स्थापना के लिये ईख आयुक्त की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी।

(2) समाहर्त्ता उप-धारा (1) के अध्यधीन संबद्ध परिषद् से परामर्श करने और कारखाने के दखलकार या सहकारी समिति के सचिव को सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित रूप में आदेश दे सकेगा कि ऐसा दखलकार या सचिव—

(क) आदेश के अनुसार किसी खरीद-केन्द्र को उसके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में अवस्थित कर दें;

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट स्थान पर नया खरीद-केन्द्र स्थापित करें; और

(ग) पहले से स्थापित किसी खरीद-केन्द्र का कार्य स्थगित कर दे।

(3) विहित प्राधिकारी या तो स्वतः या उसके पास कारखाने के दखलकार या सहकारी समिति के सचिव द्वारा, उप-धारा (2) के अधीन समाहर्त्ता के आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर आवेदन किए जाने पर, ऐसे आदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, ईख की खरीद या किसी भी क्षेत्र के उसके संचलन ,जिसमें उसका रेल द्वारा [illegible]षण भी सम्मिलित है, के संबंध में ईख आयुक्त नें किसी [illegible] या निदेश का पुनरीक्षण विहित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, [illegible] यह शक्ति होगी कि वह या तो स्वतः या ऐसे आदेश या निदेश की प्राप्ति [illegible] पन्द्रह दिनों के भीतर उसके पास किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर पुनरीक्षण के संबंध में कार्यवाहियों को शुरू करे।

30। रात्रि में ईख की तौल का प्रतिषेध।——राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी क्षेत्र में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कारखाने के दखलकार या उसकी ओर से काम करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा ईख की तौल किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा।

31। आरक्षित क्षेत्र की घोषणा।—(1) ईख आयुक्त, कारखाने की पेराई की क्षमता, ऐसे क्षेत्र में ऊख की उपलभ्यता तथा चीनी के उत्पादन की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए और संबद्ध परिषद्, कारखाने के दखलकार तथा प्रभावित होनेवाले अन्य कारखानों के दखलकारों से परामर्श करने के बाद, और उठाई गई किसी आपत्ति पर विचार कर लेने के बाद, सरकारी गज़ट में अधिसूचना द्वारा

किसी भी क्षेत्र को किसी खास पेराई-साल या सालों में कारखाने को ईख की आपूर्ति के प्रयोजन से आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी कर सकेगा और उसी प्रकार ऐसे किसी आदेश को रद्द कर सकेगा या ऐसे आरक्षित किए गए क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन कर सकेगा :

परन्तु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित कारखाने की दशा में, ऐसी घोषणा तभी की जायगी जब ऐसे कारखाने का दखलकार ईख आयुक्त के पास, विहित फारम में यह अनुरोध करते हुए कि बिहार के भीतर अमुक क्षेत्र उस कारखाने को ईख आपूर्ति करने के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, एक आवेदन प्रस्तुत करे और ऐसी घोषणा इस शर्त पर की जायगी कि ऐसा दखलकार बिहार राज्य में एक शाखा-कार्यालय खोले और बिहार राज्य में किसी समाहर्त्ता के पास पांच हजार रुपए जमानत के रूप में जमा करे और आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख की खरीद जैसे क्षेत्र को किसी सहकारी समिति के माध्यम से ही करने के लिए विहित फारम में वचनबद्ध करे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ईख आयुक्त के आदेश से व्यथित व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर या सरकारी गज़ट में उसके प्रकाशन से उसी अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा।

32। आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख की खरीद।—(1) ईख आयुक्त, सरकारी गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा किसी विनिर्दिष्ट ऊख-उत्पादक या सामान्य रूप से ऊख उत्पादकों के बारे में, यथास्थिति, ऐसे ऊख-उत्पादक या ऊख उत्पादकों द्वारा आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ऊख की वह मात्रा या अनुपात नियत कर सकेगा, जिसकी प्रत्येक ऊख-उत्पादक स्वयं, या यदि वह आरक्षित क्षेत्र की किसी सहकारी समिति का सदस्य तो ऐसी संमिति के माध्यम से संबद्ध कारखाने को आपूर्त्ति करेगा।

(2) प्रत्येक ऊख-उत्पादक, सहकारी समिति, या संबद्ध कारखाने का दखलदार उप-धारा (3) और (4) में विनिर्दिष्ट रीति से करार करके, उप-धारा (1) के अधीन नियत मात्रा या अनुपात में ऊख की, यथास्थिति, आपूर्त्ति करने या खरीदने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे किसी व्यक्ति का ऐसा करने में जान-बूझकर चूकना इस अधिनियम के उपबंधों का भंग करना होगा :

परन्तु यदि किसी सहकारी समिति द्वारा किया गया ऐसा व्यतिक्रम उसके किसी सदस्य की चूक के कारण हुआ हो तो ऐसी सहकारी समिति ऐसे व्यतिक्रम के परिमाण तक कारखाने को ईख आपूरित करने के लिए आबद्ध न होगी।

(3) किसी आरक्षित क्षेत्र में कोई ईख उत्पादक या सहकारी समिति विहित रूप में और विहित तारीख तक यथास्थिति, ईख-उत्पादक या ऐसी सहकारी समिति या समितियों के सदस्यों द्वारा ऐसे क्षेत्र में उत्पादित ईख उस कारखाने के दखलदार को देने की पेशकश कर सकेगी, जिसके लिए वह क्षेत्र आरक्षित हो।

(4) जिस कारखाने के लिए क्षेत्र आरक्षित है उसका दखलदार उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार पेशकश की गई ईख की खरीद के लिए ऐसे रूप में, उस तारीख तक और ऐसे बन्धेजों और शर्तों पर करार करेगा जो विहित हों :

परन्तु—

(i) ऐसा दखलदार किसी ग्राम की सहकारी समिति के किसी सदस्य द्वारा उस ग्राम में उत्पादित ईख की खरीद या ईख खरीदने का करार संबद्ध सहकारी समिति से करेगा अन्यथा नहीं ;

(ii) यदि किसी किस्म की ऊख धारा 36 की अधीन अधिसूचना द्वारा किसी कारखाने के उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित की गई हो तो ऐसे कारखाने के दखलदार से उस किस्म की ऊख खरीदने या का करार करने की अपेक्षा न की जाएगी ;

(iii) यदि किसी ग्राम में किसी सहकारी समिति के ईख-उत्पादी सदस्यों की संख्या ईख-उत्पादकों की संख्या से ड्योढ़ी या इससे भी अधिक हो, और इस संबंध में ईख आयुक्त द्वारा कोई आदेश विहित रीति से दिया गया एवं सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया हो, तो कारखाने का दखलदार, जबतक ऐसा आदेश प्रवृत्त रहे, ग्राम के किसी ईख-उत्पादक द्वारा उत्पादित ईख की खरीद या ईख खरीदने का करार संबद्ध सहकारी समिति के माध्यम से ही करेगा, अन्यथा नहीं; और

(iv) यदि राज्य सरकार, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसा निदेश दे तो किसी कारखाने का दखलदार अथवा ईख खरीदने के लिए उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति किसी आरक्षित क्षेत्र या उसके किसी भाग में उत्पादित ईख की खरीद या ईख खरीदने का करार सहकारी समिति के माध्यम से ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (4) के अधीन ईख आयुक्त के किसी आदेश के विशेष अपील सरकारी गजट में अधिसूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिन के भीतर विहित प्राधिकारी के पास की जा सकेगी और ऐसा आदेश ऐसी अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अध्यधीन अन्तिम होगा।

(6) किसी भी आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना—

(i) जिस कारखाने के लिए क्षेत्र आरक्षित हो, उससे भिन्न किसी कारखाने के दखलकार को या उसके द्वारा, या

(ii) जिस कारखाने के लिए क्षेत्र आरक्षित हो, उससे भिन्न किसी कारखाने को ईख की आपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को या उसके द्वारा, या

(iii) किसी युनिट के ऐसे स्वामी को या उसके द्वारा, जिसे धारा 16 के अधीन लाइसेंस न दिया गया हो,

बेची या खरीदी नहीं जायगी।

(7) किसी आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख को ईख-उत्पादक या सहकारी समिति से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं बेचेगा :

परन्तु कोई ईख-उत्पादक या सहकारी समिति किसी अन्य ईख-उत्पादक अथवा वाहक की मार्फत ईख का परिदान कर सकेगी।

(8) पेराई-साल में, राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि आरक्षित क्षेत्र के बाहर उत्पादित ऊख कारखाने के दखलकार द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा तबतक नहीं खरीदी जायगी, जबतक कारखाने का दखलकार आरक्षित क्षेत्र उसे दी जाने की पेशकश की गई सारी ऊख आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर खरीद लेने का करार नहीं कर लेता :

परन्तु ऐसा प्रतिषेध आरक्षित क्षेत्र के बाहर उत्पादित उस ईख के संबंध में लागू नहीं होगा जिसकी आपूर्ति के लिए लिखित करार ऐसा निदेश जारी किए जाने के पहले ही किया जा चुका हो।

(9) उप-धारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार किसी आरक्षित क्षेत्र से ऊख के संचलन को इस प्रकार प्रतिषिद्ध या प्रतिबन्धित या अन्यथा विनयमित कर सकेगी कि ऐसा संचलन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये परमिट के अधीन और अनुसार ही किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

33. आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख की खरीद।—आरक्षित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में उत्पादित और किसी कारखाने के दखलकार की आपूर्ति के लिये आशयित ईख निम्नलिखित को छोड़कर कोई व्यक्ति नहीं खरीदेगा :—

(क) उस कारखाने का दखलकार या ऐसी खरीद करने के लिये उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति ; या

(ख) कोई सहकारी समिति जो ऐसी ईख ऐसे दखलकार को आपूरित करने की आशा रखती हो :

परन्तु ईख खरीदने का हकदार कोई व्यक्ति किसी ईख-उत्पादक या वाहक की मार्फत ईख का परिदान ले सकेगा।

34। ऊख क्षेत्रों का सर्वेक्षण।—(1) राज्य सरकार, जब वह इसे समसमीचीन समझे, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र में उत्पादित ऊख और ऊख की खेती के योग्य किसी भी क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिये आदेश दे सकेगी और ऐसे सर्वेक्षण का खर्च उस कारखाने या उन कारखानों से वसूल कर सकेगी जिसके या जिनके लिये उस क्षेत्र की ईख की आपूर्त्ति की जाए।

(2) इस तरह का प्रत्येक सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त पदाधिकारी द्वारा किया जायगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के बाद, उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त पदाधिकारी के लिए तथा उसके कर्त्तव्य के निर्वहन में सहायतार्थ उसके द्वारा उपेक्षित्र व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित कार्य करना विधि-पूर्ण होगा :—

(i) ऐसे परिक्षेत्र में किसी जमीन पर प्रवेश और उसका सर्वेक्षण तथा स्तरमापन करना एवं ऐसे सभी काम और जांच करना, जो उस जमीन का सर्वेक्षण और उसका सीमांकन संपन्न करने के लिए आवश्यक हो;

(ii) अवभूमि को खोदना और बेधना;

(iii) चिह्न स्थापित करके तथा गड्ढे खोदकर जमीन को समतल करना, सीमांकन करना और रेखाएं खींचना; तथा

(iv) जहां अन्यथा सर्वेक्षण पूरा न हो सके और स्तरपामन, सीमांकन तथा रेखांकन न किये जा सकें, वहां खड़ी फसल, बाढ़ या जंगल के आवश्यक अंश को काटकर साफ करना।

(4) ईखायुक्त की सहायता के लिये, धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन, नियुक्त व्यक्ति या ईख पदाधिकारी उप-धारा (3) में वर्णित किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग ऐसी स्थानीय सीमाओं के अन्दर कर सकेगा जो सरकारी गजट में अधिसूचित की जाय।

(5) उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट पदाधिकारी सर्वेक्षण के क्रम में किसी सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान का मूल्य चुकायेगा या निवेदित करेगा और इस प्रकार चुकाई गई या निवेदित रकम की पर्याप्तता संबंधी किसी विवाद की दशा में वह तुरत उस विवाद को समाहर्त्ता को निदेशित करेगा, जो संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी जांच करने के बाद जैसी वह आवश्यक समझे, ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) उप-धारा (5) के अधीन समाहर्त्ता का आदेश और ऐसे आदेश के अध्यधीन उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट पदाधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(7) प्रत्येक व्यक्ति जिसकी या जिसकी दखल की भूमि किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन सर्वेक्षण किया जा रहा हो, ऐसा

सर्वेक्षण करने वाले पदाधिकारी को ऐसी सहायता और सुविधाएं देगा जो विहित की जायें।

(8) उप-धारा (1) के अधीन किसी कारखाना या किन्हीं कारखानों द्वारा देय कोई रकम लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूलनीय होगी।

(9) इस धारा के अधीन किसी सर्वेक्षण के अभिलेख किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य न होंगी।

35. पंजी-संधारण।—(1) कारखाने का दखलकार निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र के तथा ईख-उत्पादकों, ईख आपूरकों तथा सहकारी समितियों की एक पंजी, विहित फारम में रखेगा, अर्थात्—

(क) धारा 31 के अधीन कारखाने के लिये आरक्षित क्षेत्र; और

(ख) कोई अन्य क्षेत्र, जहां से कारखाना ईख खरीद सकता हो।

(2) यूनिट का स्वामी ऐसी ईख या ईख-रस के संबंध में, जो उसके द्वारा या उसकी ओर से पेरा या खरीदा जाए, विहित फारम में एक पंजी रखेगा।

(3) राज्य सरकार, नियमावली द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगी :—

(क) ऐसी पंजियों की प्रविष्टियों की शुद्धि और उनमें नई प्रविष्टियां बढ़ाना;

(ख) ऐसी शुद्धि एवं परिवर्द्धन संबंधी खर्च का भुगतान और ऐसे खर्च वसूल करने की रीति; तथा

(ग) विहित फीस भुगतान किए जाने पर, पंजियों की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां देगा।

36. कारखानों में उपयोग में लाए जाने के लिए ऊख की किस्मों को अनुपयुक्त घोषित करने की शक्ति—राज्य सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के बाद सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि—

(क) उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पादित किसी किस्म की ऊख उक्त क्षेत्र में स्थित किसी या सभी कारखानों में उपयोग के लिए अनुपयुक्त है; और

(ख) किसी किस्म का ऊख-बीज उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र के कृषकों में वितरण के लिए अनुपयुक्त है।

37. अनुपयुक्त बीज के वितरण का प्रतिषेध ।—(1) कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कार्य करनेवाला कोई अन्य व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में किसी ईख उत्पादक या सरकारी समिति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिये ऐसा किसी किस्म के ऊख-बीज किसी व्यक्ति को वितरित नहीं करेगा जिस किस्म का ऊख-बीज धारा 36 के अधीन, उस क्षेत्र के कृषकों में वितरण के लिएं अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो ।

(2) कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति ऐसी किसी किस्म की ऊख का उत्पादन नहीं करेगा जिस किस्म की ऊख, धारा 36 के अधीन ऐसे कारखाने में उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दी गई हो ।

38. कारखानें के दखलकार द्वारा बीज के जखीरें का अनुरक्षण ।—कारखाने का दखलकार ऊख के बीज का एक विहित जखीरा विहित रीति से उतने क्षेत्र में रखेगा जितना ईख आयुक्त, बोर्ड से परामर्श करके और कारखाने के दखलकार को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद तथा कारखाने की पेरने की क्षमता एवं उसकी ईख की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करे ।

39. ईख की सही तौल का अभिलेखन ।—(1) प्रत्येक कारखाने का दखलकार, प्रत्येक युनिट का स्वामी, प्रत्येक सहकारी समिति का सचिव और प्रत्येक तौल-प्रभारी, तौल एवं माप के विषय में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित त्रुटियों की सीमाओं के अध्यधीन तौल स्थान पर खरीदी गई ईख की ठीक-ठीक तौल का अभिलेख रखेगा ।

(2) कोई ईख तौल किए बिना न खरीदी जायेगी ।

40. खरीद-केन्द्रों पर पहुंच-मार्गों आदि की व्यवस्था ।—किसी खरीद केन्द्र पर ईख की खरीद करने वाला, कारखाने का दखलकार या सहकारी समिति निम्न-लिखित के लिए ऐसी व्यवस्था करेगी और उनकी ऐसी मरम्मत करवाती रहेगी, जो विहित की जाएं, अर्थात्:—

(क) पहुंच-मार्ग और पशुचालित गाड़ियों के ठहरने की जगह;

(ख) पशुओं तथा गाड़ीवानों के लिए छाजन;

(ग) खरीद-केन्द्र का उपयोग करनेवाले व्यक्तियों के लिये पेयजल; और

(घ) पशुओं के लिए पेयजल तथा पानी की नादें ।

41. पशुचालित गाड़ी को रोक रखने के लिए प्रतिकर का भुगतान ।—(1) किसी खरीद-केन्द्र पर ईख खरीदनेवाला कोई कारखाने का दखलकार, सहकारी समिति की ओर से कार्य करनेवाला कोई व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति ऐसे केन्द्र पर छः घंटे से अधिक पशुचालित गाड़ी को नहीं रोकेगा ।

(2) यदि ऐसे खरीद-केन्द्र पर कोई पशुचालित गाड़ी छः घंटे से अधिक रोक रखी जाए तो यथास्थिति, कारखाने का दखलकार, सहकारी समिति या अन्य व्यक्ति इस प्रकार रोक के लिये ईख-आपूरक को विहित रीति से पचीस पैसे प्रति घंटे की दर से प्रतिकर भागी होगा ।

(3) उप-धारा (1) निर्दिष्ट व्यक्ति पशुचालित गाड़ियों के ठहरने की जगह में उसके प्रवेश करने और उससे बाहर निकलने का समय लिखने की विहित व्यवस्था करेंगे ताकि हड़ताल होने या मशीनरी के टूट-फूट जाने की स्थिति में अथवा ऐसा कोई कारण होने पर जो उनके वश के बाहर हो, वे उस हद तक प्रतिकर के दायित्व से विमुक्त रहेंगे जो विहित किया जाये ।

अध्याय 5

ईख के मूल्य का भुगतान और अन्य विषय

42. युनिट को आपूरित ईख का न्यूनतम मूल्य ।—राज्य सरकार, किसी क्षेत्र के संबंध में संबद्ध पेराई-साल में युनिट के स्वामियों को आपूरित ईख के लिये उनके द्वारा ईख-उत्पादकों या सहकारी समितियों को संदेय न्यूनतम ईख-मूल्य, बोर्ड से परामर्श करने के बाद, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अवधारित कर सकेगी;

परन्तु इस प्रकार अवधारित न्यूनतम मूल्य उसी क्षेत्र से आपूरित ईख के संबंध में तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कारखाने के दखलकार द्वारा संदेय न्यूनतम मूल्य से अधिक न होगा ।

43. ईख के मूल्य का भुगतान ।—(1) कारखाने का दखलकार ईख के मूल्य का भुगतान करने की ऐसी व्यवस्था करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) (i) ज्योंही किसी कारखाने को ईख की आपूर्त्ति की जाये ऐसे कारखाने का दखलकार इस प्रकार आपूरित ईख का मूल्य चुकाने का भागी हो जाएगा ।

(ii) यदि खंड (i) के अधीन दायी कारखाने का दखलकार कारखाने की ईख की आपूर्त्ति की तारीख से चौदह दिनों से अधिक अवधि तक ईख का मूल्य न चुकाए तो वह उस पर आपूर्त्ति की तारीख से धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज देने का भागी होगा ।

(3) (i) जब सहकारी समिति किसी कारखाने के दखलकार से ईख का मूल्य या उसके ब्याज की रकम प्राप्त कर ले तो समिति का सचिव या कोषाध्यक्ष या ऐसी समिति की ओर से भुगतान का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति कारखाने के दखलकार से रकम प्राप्त होने पर तुरत यथास्थिति ईख-उत्पादकों या ऐसी समिति के सदस्यों को ईख का वह मूल्य और ब्याज की रकम यदि कोई हो देने का भागी होगा ।

(ii) जहां खंड (i) के अधीन दायी व्यक्ति कारखाने से प्राप्त मूल्य या उसके ब्याज का भुगतान ऐसी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों से अधिक अवधि तक न करे तो वह उक्त रकम पर उक्त तारीख से साढ़े सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने/भुगतान करने का भागी होगा ।

(4) यूनिट का स्वामी अपने को आपूरित ईख के मूल्य का भुगतान आपूर्त्ति के तुरन्त बाद कर देगा और ऐसा करने में चूक करने पर विहित दर से ब्याज का भागी होगा ।

(5) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) में किसी बात के होते हुए भी कारखाने का दखलकार अथवा सहकारी समिति का सचिव या कोषाध्यक्ष अथवा ऐसी समिति की ओर से भुगतान का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति या यूनिट का स्वामी समय पर मूल्य का भुगतान न करने के लिये धारा 52 के अधीन दंड का भागी होगा ।

(6) ईख के मूल्य का कोई बकाया उसपर ब्याज के साथ यदि कोई हो लोक-मांग या भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय होगा ।

(7) कर या उत्पाद-शुल्क के संबंध में केन्द्रीय सरकार के किसी दावे के अध्यधीन रहते हुए ईख का मूल्य कारखाने की चीनी के सिवाय उसकी अन्य संपत्तियों पर प्रथम भार होगा ।

44. कटौती ।—(1) कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन अपने द्वारा या उनकी गारंटी अथवा अन्य प्रकार से किसी बैंक या अन्य संस्थानों के द्वारा दिये गये किसी उधार के मद्दे कटौती के सिवाय ईख के मूल्य में से कोई अन्य कटौती नहीं करेगा । [1]

"परन्तु ईख मूल्य में से कोई भी कटौती संबंधित ईख उत्पादकों के पूर्विक एवं स्वेच्छया करार के बिना नहीं की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि, किसी भी हालत में, ऐसी कटौती ईखोत्पादक द्वारा मिल को ईख आपूर्त्ति किये जाने के पन्द्रहवें दिन या आपूर्त्ति रसीद मिल के पास जमा किये जाने की तिथि से, जो पहले हो, की गयी समझी जायगी और उसी दिन से संबंधित ईखोत्पादक कटौती की हद तक ऋण एवं सूद की अदायगी के दायित्व से उन्मोचित समझा जायगा और यह मिल मालिक की जिम्मेवारी होगी कि उनकी गारंटी पर संबंधित बैंक या अन्य संस्थान, यदि कोई हो, जिसने उक्त ऋण प्रदत्त किये हों तत्क्षण एवं समुचित क्रेडिटिंग सुनिश्चित करें ।" [2]

(1) बिहार अधिनियम 13, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित ।
(2) बिहार अधिनियम 13, 1987 द्वारा जोड़ा जाना ।

(2) सहकारी समिति की ओर से ईख के मूल्य के भुगतान का प्रभारी कोई व्यक्ति उस मूल्य में से समिति द्वारा अपने किसी सदस्य या ईख उत्पादक को दिए गए किसी उधार के मद्दे कटौती के सिवाय कोई अन्य कटौती नहीं करेगा ।

(3) उप-धारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राष्ट्रीय या राज्य योजना के अधीन कोई अंशदायी स्कीम हो वहां ईख उत्पादकों या ईख आपूरकों या सहकारी समितियों या उनके सदस्यों के अंशदानों की वसूली उनकी पूर्व सहमति से ईख के मूल्य में से कटौती करके ली जा सकेगी :

परन्तु कारखाने के दखलकार द्वारा इस प्रकार काटी गई रकम परिषद् की निधि में विहित रीति से जमा कर दी जायगी और उसके ऐसा नहीं करने पर कारखाने का दखलकरण धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज देने का भागी होगा तथा ब्याज सहित मूलधन लोक-मांग या भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय होगा ।

(4) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट उन कटौतियों को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की गई हों रकम जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी कारखाने के दखलकार या किसी अन्य व्यक्ति के पास हो, राज्य सरकार के इस निमित्त आदेश के अनुसार बोर्ड या संबद्ध परिषद् की निधि में जमा कर दी जायेगी । यदि ऐसा दखलकार या अन्य व्यक्ति ऐसी रकम इस तरह जमा करने में चूके तो यह लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी और उसपर धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज लगेगा ।

45. दावा रहित रकमें परिषद् की निधि में जमा की जायेंगी ।—(1) किसी पेराई साल की समाप्ति से दो वर्ष बीत जाने पर राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखाने के दखलकार से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ईख का मूल्य और उसका ब्याज यदि कोई हो जो कि ईख उत्पादकों या ईख आपूरकों या सहकारी समितियों को नहीं दिया जा सका हो उस जिले के समाहर्त्ता के पास जिस जिले में कारखाना स्थित हो या यदि कारखाना बिहार राज्य से बाहर स्थित हों तो उस जिले के समाहर्त्ता के पास, जहां से कारखाने के दखलकार ने ईख की खरीद की हो आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जमा कर दें ।

(2) समाहर्त्ता उप-धारा (1) के अधीन जमा की गई रकम में से उन सभी दामों का भुगतान करेगा जिन्हें वह संदेय समझे और जो सरकारी गजट में राज्य सरकार के आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर उसके समक्ष पेश किए गए हों ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन दावों के भुगतान के बाद समाहर्त्ता के पास बची हुई रकम छः महीने के भीतर ही संबद्ध परिषद् की निधि में जमा कर दी जाएगी ।

46. कतिपय विवादों का निर्णय ।—(1) यदि किसी कारखाने के दखलकार को आपूरित ईख के मूल्य, मूल्य के हकदार व्यक्ति या उस कागज के संबंध में

जिसके आधार पर मूल्य का दावा किया गया हो कोई विवाद खड़ा हो तो मूल्य का भुगतान रोक दिया जायगा और जिस कारखाने को ईख की आपूर्ति की गई हो उसका दखलकार उक्त विवाद को विहित फारम पर बनी पंजी में दर्ज कर लेगा तथा उसे विहित अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी को निर्देशित कर देगा। विहित प्राधिकारी संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने तथा ऐसी जांच जैसी वह आवश्यक समझे करने के बाद-विवाद का निर्णय करेगा :

परन्तु, जब कभी इस उप-धारा के अधीन मूल्य का भुगतान रोका जाए कारखाने का दखलकार ऐसे निदेश के एक सप्ताह के भीतर विवादग्रस्त रकम विहित प्राधिकारी के पास विहित रीति से जमा कर देगा।

(2) किसी कारखाने के दखलकार द्वारा ईख की खरीद अथवा उसे इसकी आपूर्ति विषयक करार से संबंधित कोई अन्य विवाद तथा किसी यूनिट के स्वामी द्वारा ईख या ईख-रस की खरीद और उसके मूल्य के भुगतान से संबंधित कोई विवाद उप-धारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी को निर्देशित किए जायेंगे जो उस उप-धारा में बताई गई रीति से उनका विनिश्चय कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—यदि कोई ईख उत्पादक या सहकारी समिति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कारखाने के दखलकार से ईख की आपूर्ति की पेशकश करे और उक्त दखलकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करार निष्पादित न करे तो ऐसे अनिष्पादित करार से संबंधित विवाद इस उप-धारा के अर्थ में विवाद होगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किए गए किसी निर्णय से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इस निर्णय से तीस दिनों के भीतर समाहर्त्ता के पास अपील कर सकेंगे जो संबंद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने तथा वैसी जांच, जैसी वह आवश्यक समझे करने के बाद ऐसा आदेश देगा, जो वह उचित समझें।

(4) उप-धारा (3) के अधीन समाहर्त्ता का आदेश और ऐसे आदेश के अध्यधीन उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

47. अन्तिम आदेशों का प्रवर्त्तन।—धारा 46 के अधीन दिए गए अन्तिम निर्णय या आदेश आवेदन करने पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय द्वारा उसी प्रकार निष्पादित किए जायेंगे जिस प्रकार उक्त न्यायालय की डिग्री की जाती हैं :

परन्तु यदि धारा 46 के अधीन अंतिम निर्णय या आदेश ईख के मूल्य के बारे में हो तो ऐसा मूल्य ब्याज के साथ, यदि कोई हो, लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूलनीय होगा।

48. ईख की खरीद पर कमीशन का दिया जाना।—(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखाने के दखलकार से अपेक्षा कर सकेगी कि वह अपने द्वारा या अपनी ओर से खरीदी गई ईख पर विहित रीति से प्रति क्विन्टल पन्द्रह पैसा से अनधिक कमीशन दिया करे और उसी तरह अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी नये कारखाने से दखलकार को विहित अवधि तक ऐसे कमीशन के भुगतान से विमुक्त कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संदेय कमीशन विहित रीति से संगृहीत किया जायेगा और इस तरह संगृहीत रकम सहकारी समिति और परिषद् को उस अनुपात में तथा उस रीति से दी जाएगी जो विहित की जाए :

परन्तु किसी सहकारी समिति द्वारा आपूरित ईख पर उसे सात पैसे प्रति क्विन्टल की दर से अधिक कोई राशि संदेय न होगी और शेष पूरी रकम संबद्ध परिषद् को दे दी जायेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन संदेय कमीशन के बकाये पर धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज लगेगा और वह ब्याज सहित, लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा।

49. ऊख पर कर।—(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित कर अधिरोपित कर सकेगी :—

(क) उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र में उसके भीतर अवधि कारखाने के उपयोग या प्रयोग या उसकी विक्रय के लिये उसका प्रविष्टि पर अधिक-से-अधिक एक रुपया प्रति क्विन्टल की दर से कर।

(ख) कारखाने के दखलकार द्वारा या उसकी ओर से ऊख की खरीद पर अधिक-से-अधिक एक रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर :

परन्तु खंड (ख) के अधीन कर ऐसी ऊख पर कारखाने के दखलकार द्वारा संदेय नहीं होगा जिस पर खंड (क) के अधीन अधिरोपित कर उसके द्वारा संदेय हो।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा—

(क) अनुसंधान, बीज वितरण, रोगग्रस्त ईख की पेराई या अत्यधिक फसल होने के लिए ऐसे किसी कारखाने में उपयोजित ईख संबंधी ऐसे कर को कम अथवा पूर्णतः या भागतः परिहृत कर सकेगी।

(ख) किसी नए कारखाने या सरकारी सहायता के बिना न चल सकनेवाले कारखाने को विहित अवधि के लिए ऐसे कर से विमुक्त कर सकेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन संदेय कर का भुगतान कारखाने के दखलकार द्वारा संबद्ध जिले के समाहर्त्ता को ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए और ऐसे कर के बकाये की रकम पर धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज लगेगा और वह ब्याज सहित लोक-मांग के रूप में या भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी।

(4) यूनिट के स्वामी द्वारा ईख की खरीद पर, प्रति क्विंटल ईख पर एक रुपया से अनधिक ऐसी दर से, जो सरकारी गजट में अधिसूचित हो, विहित रीति से कर लगाया और वसूल किया जाएगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कर वस्तुतः खरीदी गई ईख की मात्रा पर या यूनिट के स्वामी के विकल्पानुसार ईख की विहित रीति से नाप की गई मात्रा पर, संदेय होगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन संदेय कर का भुगतान यूनिट का स्वामी संबद्ध समाहर्त्ता को विहित रीति से करेगा और बकाए की रकम पर साढ़े सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जायगा। बकाए की रकम ब्याज सहित लोक-मांग के रूप में वसूलनीय होगी।

(6) किसी कर या उत्पाद शुल्क के संबंध में केन्द्रीय सरकार के दावे के अध्यधीन रहते हुए उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित कर के संबंध में राज्य सरकार का दावा संबद्ध पेराई साल में उत्पादित चीनी पर प्रथम भार होगा।

(7) जबतक उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित कर का भुगतान प्रति क्विंटल चीनी पर राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित दर से न कर दिया जाए और संबद्ध ईख पदाधिकारी से भुगतान का प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया जाए तबतक किसी कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कार्य करनेवाले कोई व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति चीनी को कारखाने से न हटाएगा।

(8) बोर्ड और परिषदों को, प्रत्येक पेराई साल के संबंध में उप-धारा (3) और (5) के अधीन वसूल की गई रकम के ऐसे अनुपात जो राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर अवधारित करे विहित रीति से अनुदान के रूप में दिये जाएंगे ताकि वे ऐसी विकास स्कीमों का खर्च पूरा कर सकें जिनका भार उन्होंने राज्य सरकार के अनुमोदन से अपने ऊपर लिया हो :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन संदेय रकम का पांचवा भाग बोर्ड को और शेष भाग संबद्ध कारखानों द्वारा पेरी गई ईख की मात्रा के अनुपात में परिषदों को दे दिया जायगा।

50. कारखाने के दखलकार द्वारा उधार दिया जाना।

"(1) कारखाने का दखलकार या उनकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या कोई बैंक किसी ईख उत्पादक या सहकारी समिति को ईख की खेती या आपूर्त्ति से संबद्ध ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति से और उतनी राशि तक उधार दे सकेगा जो विहित हो।"[1]

(2) उप-धारा (1) के अधीन दिए गए उधार पर धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज संदेय होगा तथा उधार और ब्याज विहित रीति से वसूलनीय होंगे :

51. कतिपय पावनों के संबंध में ब्याज की दर।—(1) धारा 43, 44, 48 या 49 के अधीन किसी कारखाने के दखलकार अथवा धारा 44 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्य ब्याज की दर ग्यारह प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी :

परन्तु इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट ब्याज की दर में उतनी वृद्धि या कमी की गई समझी जाएगी जितनी वृद्धि या कमी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 49 में निर्दिष्ट विद्यमान बैंक दर (मानक दर) में हुई हो।

(2) किसी कारखाने के दखलकार की धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज की दर वही होगी जिस दर से ऐसे दखलकार ने चीनी को गिरवी पर या अन्यथा, अग्रिमों के लिए किसी बैंक को ब्याज का भुगतान किया हो :

परन्तु जहां किसी कारखाने का दखलकार एक या अनेक बैंकों को विभिन्न दरों पर ब्याज का भुगतान कर रहा हो वहां इस उप-धारा के अधीन उसे संदेय दर वह होगी जो इन दरों में निम्नतम हो।

---

(1) बिहार अधिनियम 13, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि किसी कारखाने का दखलकार कारखाने की निधियों को कारखाने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन में खर्च कर रहा है, तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे दखलकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा सदेय ब्याज की दर बढ़ा सकेगी।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

52. अपराधों के लिए दण्ड।—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम, या नियमावली के किसी उपबन्ध या इसके अधीन दिए गए आदेश या निर्देश या लाइसेंस के बंधेजों और शर्तों का उल्लंघन करे या उल्लंघन करने का प्रयत्न करे या उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करे, तो वह छः महीने तक के कारावास या पांच हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों का भागी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहे तो प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के बाद ऐसे उल्लंघन जारी रहने की अवधि में प्रतिदिन के लिए एक हजार रुपये तक अतिरिक्त जुर्माने का भागी होगा :

परन्तु, जहां अपराधी कारखाने के दखलकार या उसके प्रबंधक की ओर से कार्य करता रहा हो, वहां यथास्थिति, ऐसे कारखाने का दखलकार या प्रबंधक, वास्तविक अपराधी के अतिरिक्त या अनुकल्पतः उसी प्रकार दंडनीय होगा जबतक कि वह प्रमाणित न कर दे कि इस अधिनियम, या नियमावली का या इसके अधीन दिए गए आदेश या निदेश या किसी लाईसेंस के बन्धेजों और शर्तों का अनुपालन कराने के लिए उसने समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी और अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना ही किया गया।

53. कार्यवाही का चलाया जाना।—इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन तभी चलाया जाएगा जब राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी कोई लिखित परिवाद करे, अन्यथा नहीं।

54. अपराध का शमन करने की शक्ति।—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर ईख आयुक्त, दोषसिद्धि के पहले किसी प्रक्रम में, उस अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन लगाए जानेवाले

जुर्माने की अधिकतम रकम से अनधिक ऐसी रकम के बदले जो वह (ईख आयुक्त) नियत करे, अपराध का शमन कर सकेगा और ऐसी रकम उक्त व्यक्ति से उसी प्रकार वसूलनीय होगी, मानो यह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो :

परन्तु ईख की तौल या ईख के मूल्य के भुगतान संबंधी अपराध का शमन न किया जाएगा।

55. प्रतिभूतियों का समपहरण।—(1) जहां किसी व्यक्ति ने धारा 16, 24, 25 या 31 के अधीन कोई प्रतिभूति जमा की हो, वहां उसके द्वारा इस अधिनियम या नियमावली के किन्हीं उपबन्धों या उनके अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश के या किसी लाईसेंस की शर्तों के उल्लंघन की दशा में, समाहर्त्ता, उससे इस बात का हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी प्रतिभूति राज्य सरकार के प्रति समपहृत क्यों न कर ली जाए अथवा पूरी प्रतिभूति या उसका कोई अंश ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को क्यों न दे दिया जाय जिन्हें उस व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति क अवचार के कारण कोई हानि उठानी पड़ी हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दर्शित किए गए हेतुक पर, यदि कोई हो विचार करने के बाद समाहर्त्ता प्रतिभूति की संपूर्ण राशि या उसके किसी अंश को समपहृत कर सकेगा और आदेश दे सकेगा कि संपूर्ण समपहृत राशि या उसका कोई अंश उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को दे दिया जाए जिन्होंने उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई हानि उठाई हो :

परन्तु किसी व्यक्ति की प्रतिभूति उसकी ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति के अवचार के लिए समपहृत न की जाएगी, यदि वह व्यक्ति समाहर्त्ता के समाधानानुरूप यह सिद्ध कर दे कि यद्यपि उसने अपनी ओर से समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी तथापि ऐसे अन्य व्यक्ति ने अवचार कर दिया।

(3) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध उप-धारा (2) के अधीन कोई कार्रवाई की गई हो तो ऐसा व्यक्ति उसी उल्लंघन के लिए धारा 52 के अधीन अभियोजन का भागी न होगा।

56. क्षतिपूर्त्ति—(1) इस अधिनियम या नियमावली या इसके अधीन दिए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने को आशयित किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलेगी।

416

(2) इस अधिनियम या नियमावली या इसके अधीन दिए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य से हुई या होनी संभाव्य क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलेगी।

57. ईख आयुक्त और अन्य व्यक्तियों का लोक-सेवक समझा जाना।—ईख आयुक्त, प्रत्येक ईख पदाधिकारी और ईख आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड-संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक-सेवक समझा जाएगा।

58. गवाहों को बुलाने और हाजिर कराने तथा दस्तावेज पेश कराने की शक्ति।—इस अधिनियम के अधीन जांचों के प्रयोजनार्थ ईख आयुक्त या उसकी शक्तियों का प्रयोग करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति या ईख पदाधिकारी या धारा 34 के अधीन नियुक्त पदाधिकारी को साक्षियों तथा पक्षकारों को समन करने, उन्हें हाजिर कराने, उनको शपथ पर परीक्षा करने और दस्तावेजों की पेशी के लिए वाध्य करने की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय को होती है:

परन्तु, किसी व्यतिक्रमी व्यक्ति पर उक्त संहिता के उपबन्धों के अधीन कोई शास्ति लगाने के प्रयोजनार्थ समुचित कार्रवाई के लिए मामला सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय को निदेशित कर दिया जाएगा।

59. कारखाने के दखलकार का अवधारण।—(1) यदि कारखाने का दखलकार कोई फर्म या व्यक्तियों की अन्य संस्था हो, तो किसी भी भागीदार या सदस्य पर इस अधिनियम के अधीन किसी भी ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए कारखाने का दखलकार दंडनीय हो अभियोजन चलाया जा सकेगा और उसे दंडित किया जा सकेगा:

परन्तु फर्म या संस्था ईख आयुक्त को यह सूचना दे सकेगी कि उसने अपने एक भागीदार सदस्य को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कारखाने का सलाहकार मनोनीत किया है जो ऐसा व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, तबतक दखलकार समझा जाएगा जबतक ईख आयुक्त को उसका मनोनयन रद्द किए जाने की सूचना प्राप्त न हो या जब यह उस फर्म या संस्था का भागीदार या सदस्य न रह जाए।

(2) यदि कारखाने का दखलकार कोई कम्पनी हो, तो उसके किसी निदेशक पर, या यदि प्राइवेट कम्पनी हो तो उसके किसी भी शेयरधारक पर इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए कारखाने का दखलकार दंडनीय हो, अभियोजन चलाया जा सकेगा और वह दंडित किया जा सकेगा:

417

परन्तु कम्पनी ईख आयुक्त को यह सूचना दे सकेगी कि उसने अपने एक निदेशक को, या प्राइवेट कम्पनी की दशा में एक शेयरधारक को, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कारखाने का दखलकार मनोनीत किया है और ऐसा निदेशक या शेयरधारक इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ तबतक कारखाने का दखलकार समझा जाएगा जबतक ईख आयुक्त को उसका मनोनयन रद्द किए जाने की सूचना प्राप्त न हो या जब वह निदेशक या शेयरधारक न रह जाये।

60. सहकारी समिति का अवधारण।—यदि केवल व्यक्तियों से मिलकर बनी ग्राम स्तर की सहकारी समितियां, किसी सहकारी विकास और ईख क्रय-विक्रय संघ से उसके सदस्य रूप में संबद्ध हो तो ऐसा संघ और यदि ऐसी ग्राम स्तर की समितियां किसी सहकारी विकास और ईख क्रय-विक्रय संघ से नहीं बल्कि किसी व्यापार मंडल सहकारी समिति से संबद्ध हो तो ऐसा व्यापार मंडल, किसी ऐसी ग्राम स्तर की सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा उत्पादित ईख की खरीद, बिक्रय या आपूर्त्ति के प्रयोजनार्थ तथा इनकी आनुषंगिक बातों के बारे में सम्बद्ध सहकारी समिति समझी जाएगी।

61. शक्तियों का सौंपा जाना।—राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जानेवाली किसी शक्ति का प्रयोग निदेश में विनिर्दिष्ट मामलों में और शर्तों के अध्यधीन ऐसा पदाधिकारी या प्राधिकारी कर सकेगा, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

62. सहकारी कारखानों या यूनिटों को अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त करने की शक्ति।—राज्य सरकार, सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके; बिहार एंड उड़ीसा को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1935 (बि० उ० अ० 6, 1935) के अधीन स्थापित किसी सहकारी समिति के स्वामित्वाधीन कारखाने या यूनिट को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों से विमुक्त कर सकेगी अथवा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे कारखाने या यूनिट के संबंध में ऐसे रूपभेदों के साथ ला[illegible] आदेश में विनिर्दिष्ट हो:

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों में ऐसा कोई रूपभेद, जिससे ऐसे संबद्ध कारखाने या यूनिट के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसे कारखाने या यूनिट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना न किया जायगा।

63. अपीलीय प्राधिकारी की अन्तर्वर्ती आदेश देने और अपील फाईल करने में हुए विलम्ब को माफ करने की शक्ति।—यदि इस अधिनियम या नियमावली के अधीन किसी निर्णय या आदेश को रद्द करने के लिए किसी प्राधिकारी के

पास अपील की जाए तो ऐसा अपीलीय प्राधिकारी, न्याय के उद्देश्य को विफल होने से बचाने के लिए अपील का निर्णय होने तक ऐसा अन्तर्वर्ती आदेश दे सकेगा, जो उसे न्याय और सुविधाजनक प्रतीत हो अथवा ऐसा आदेश दे सकेगा, जो न्याय के उद्देश्य की सिद्धि के लिए या अपीलीय प्राधिकारी की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक हो तथा यदि उसका समाधान हो जाए कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील नहीं कर पाया है तो वह अपील फाइल करने की अधिकथित अवधि के बाद भी अपील को ग्रहण कर सकेगा।

64. किसी निश्चित अवधि में कतिपय विधियों के अधीन शेषों और करों के अधिरोपण और संग्रहण को विधिमान्यता प्रदान करना।—(1) किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी राज्य विधि के अधीन अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहीत अथवा अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहीत किए जाने के लिए तात्पर्यित सभी सेस और कर, विधि के अनुसार, विधिमान्यतः अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहीत समझे जाएंगे मानो यह अधिनियम ऐसे सभी तात्विक समयों में लागू रहा हो जब ऐसा सेस या कर अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहीत किया गया और तदनुसार—

(क) किसी राज्य विधि के अधीन भुगतान किए गए किसी सेस या कर की वापसी के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद हो, अन्य कार्यवाही न चलाई जाएगी न जारी रखी जाएगी।

(ख) कोई भी न्यायालय किसी राज्य विधि के अधीन भुगतान किए गए किसी सेस या कर की वापसी को निदेशित करने वाली कोई डिक्री या आदेश प्रवर्तित न करेगा; और

(ग) किसी राज्य विधि के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अधिरोपित या निर्धारित, लेकिन उस तारीख के पूर्व संग्रहीत न किया गया, कोई सेस या कर उस राज्य विधि में उपबन्धित रीति से (जहां आवश्यक हो वहां सेस या कर के निर्धारण के बाद) वसूल किया जा सकेगा।

(2) संदेह-निराकरण के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (1) की किसी भी बात का यह अर्थ न लगाया जाएगा कि उससे किसी व्यक्ति पर निम्नलिखित किसी बात के संबंध में रोक लग जाएगी:—

(क) इस अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों के अनुसार, किसी अवधि के लिये किसी सेस या कर के अधिरोपण पर प्रश्न उठाना, या

(ख) उसके द्वारा किसी राज्य विधि और तद्धीन बनी नियमावली के अधीन शोध रकम से अधिक भुगतान किए गए सेस या कर की वापसी का दावा करना।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनार्थ, राज्य विधि से तात्पर्य है—

(क) बिहार सुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट, 1937 (वि० अ० सं० 7, 1937)।

(ख) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1968 (वि० अ० सं० 3, 1968)।

(ग) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1968 (वि० अ० सं० 6, 1968)।

(घ) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश; 1968 (वि० अ० सं० 13, 1968);

(ङ) बिहार ईख (आपूर्त्ति एव खरीद का विनियमन) अध्यादेश; 1969 (वि० अ० सं० 4, 1969);

(च) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एव खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1969 (वि० अ० स० 6, 1969);

(छ) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम; 1969 (राष्ट्रपति अधि० 8, 1969);

(ज) बिहार ईख (आपूर्त्ति एव खरीद का विनियमन) अध्यादेश; 1971 (वि० अ० स० 20, 1971);

(झ) बिहार ईख (आपूर्त्ति एव खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1971 (वि० अ० स० 49, 1971);

(ञ) बिहार ईख (आपूर्त्ति एव खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1971 (वि० अ० सं० 69, 1971);

(ट) बिहार ईख (आपूर्त्ति एव खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1972 (वि० अ० सं० 61, 1972);

(ठ) बिहार ईख (आपूर्त्ति एव खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1972 (वि० अ० स० 110, 1972);

(ड) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1972 (वि० अ० स० 165, 1972);

(ढ) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1973 (वि० अ० स० 47, 1973);

(ण) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1973 (वि० अ० सं० 113, 1973);

(त) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1974 (बि० अ० सं० 15, 1974);
(थ) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1974 (बिहार अध्यादेश सं० 84, 1974);
(द) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1974 (बिहार अध्यादेश सं० 115, 1974);
(ध) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (बिहार अध्यादेश सं० 185, 1974);
(न) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश सं० 36, 1975);
(प) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश सं० 91, 1975);
(फ) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एव खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश सं० 135, 1975);
(ब) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) चतुर्थ अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश सं० 183, 1975);
(भ) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश संख्या 215, 1975)।
(म) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 43, 1976) ;
(य) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 118, 1976) ;
(र) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 119, 1976) ;
(ल) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 195, 1976) ;
(व) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (तृतीय संशोधन); अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 196, 1976
(श) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश संख्या 49, 1977) ;
(ष) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश; 1977 (बिहार अध्यादेश संख्या 48, 1977) ;
(स) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 93, 1977) ;
(ह) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 150, 1977) ;

(हअ) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) चतुर्थ अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 197, 1977) ;
(हआ) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) पंचम अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 262, 1977) ;
(हइ) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1978 (बिहार अध्यादेश सं० 20, 1978) ;
(हई) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1978 (बिहार अध्यादेश सं० 104, 1978) ;
(हउ) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1979 (बिहार अध्यादेश सं० 33, 1979) ;
(हऊ) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1979 (बिहार अध्यादेश सं० 76, 1979) ;
(हए) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का वियिमन) तृतीय अध्यादेश, 1979 (बिहार अध्यादेश सं० 127, 1979) ;
(हऐ) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1980 (बिहार अध्यादेश सं० 47, 1980) ;
(हओ) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1980 (बिहार अध्यादेश सं० 78, 1980) ;
(हऔ) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1980 (बिहार अध्यादेश सं० 127, 1980) ;
(हअं) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश सं० 35, 1981) ;
(हअः) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (बिहार अधिनियम सं० 62, 1981) ।
(हक) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश सं० 76, 1981) ।
(हख) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश सं०
(हग) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश सं० 184, 1981) ।

65. **नियमावली बनाने की शक्ति** ।—(1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी ।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित किसी या सभी बातों के लिए उपबंध किया जा सकेगा अर्थात् :—

(i) बोर्ड और परिषदों के कृत्य तथा कृत्यों के पालन की रीति ;
(ii) बोर्ड और परिषदों के कार्य-संचालन की रीति ;
(iii) बोर्ड और परिषदों के अधीन रखी गई निधियों के अनुरक्षण की रीति और प्ररूप तथा उन निधियों का उपयोजन और उनमें से भुगतान की रीति ;
(iv) बोर्ड और परिषदों के लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा उसकी आनुषंगिक बातें ;
(v) बिहार ऐण्ड उड़ीसा लोकल फण्ड ऑडिट ऐक्ट, 1925 (बि०उ०अ० 2, 1925) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक से भिन्न लेखा परीक्षक को दिया जानेवाला पारिश्रमिक ;
(vi) ईख आयुक्त तथा अन्य प्राधिकारियों और पदाधिकारियों के कृत्य, जिनके द्वारा इस अधिनियम नियमावली के अधीन, किन्हीं कृत्यों का पालन होना है ;
(vii) अध्याय 3 के अधीन लाइसेंस ;
(viii) धारा 25 के अधीन प्रबंधक की नियुक्ति ;
(ix) धारा 27 के अधीन किसी पेराई साल में किसी कारखाने द्वारा अपेक्षित ईख का प्राक्कलन भेजने की तारीख और रीति तथा प्राक्कलन के प्रकाशन की रीति ;
(x) प्राधिकारी जो धारा 27 के अधीन तैयार किए गए प्राक्कलन का पुनरीक्षण कर सकेगा ;
(xi) धारा 29 के अधीन खरीद-केन्द्रों की स्थापना एवं कार्यचालन ;
(xii) फॉरम, जिस पर बिहार राज्य के बाहर स्थित कोई कारखाना धारा 31 के अधीन ईख की आपूर्त्ति के लिए क्षेत्र आरक्षितकरण के लिए आवेदन दे सकेगा ;
(xiii) वह प्राधिकारी, जिसके पास धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन ईख आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी ;
(xiv) किसी आरक्षित क्षेत्र में किसी कारखाने के दखलकार द्वारा ईख की खरीद के लिए करार से संबंधित फॉरम, तारीख, बन्धेज और शर्तें ;
(xv) धारा 32 के अधीन ईख आयुक्त द्वारा दिया जानेवाला आदेश;
(xvi) वह प्राधिकारी, जिसके पास धारा 32 की उप-धारा (4) के परन्तुक के खंड (iii) के अधीन दिए गए ईख आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी ;

(xvii) धारा 34 के अधीन सर्वेक्षण करनेवाले पदाधिकारी को स्वामियों और दखलकारों द्वारा दी जानेवाली सहायता ;
(xviii) वह फॉरम जिसमें धारा 35 के अधीन पंजी रखी जाएगी उक्त पंजी में प्रविष्टियों का संशोधन और नयी प्रविष्टियों का समावेश, प्रविष्टियों के ऐसे संशोधन या समावेश से संबंधित खर्च का भुगतान और ऐसे खर्च की वसूली की रीति तथा पंजी की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियों के लिये संदेय फीस ;
(xix) धारा 33 की अपेक्षानुसार बीजों का जखीरा और उसके अनुरक्षण की रीति ;
(xx) धारा 43 की अपेक्षानुसार ईख के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था ;
(xxi) धारा 44 के अधीन ईख के मूल्य में से कटौती और संबद्ध परिषद् को रकम का भुगतान ;
(xxii) धारा 46 के अधीन विवाद दर्ज करने की पंजी का फौरम, वह अवधि जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसे निर्देश किया जायगा ;
(xxiii) धारा 46 के अधीन मूल्य जमा करने की रीति तथा वह प्राधिकारी जिसके पास वह जमा किया जायगा ;
(xxiv) धारा 48 की अपेक्षानुसार कमीशन के भुगतान की रीति ;
(xxv) धारा 48 की उप-धारा (2) के अधीन कमीशन के भुगतान का अनुपात और रीति ;
(xxvi) धारा 49 के अधीन संदेय कर के संग्रहण की रीति ;
(xxvii) धारा 50 के अधीन उधार देने की रीति और उसकी सीमा ;
(xxviii) वह समय जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन उन मामलों के संबंध में आवेदन और अपील की जा सकेगी जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है ;
(xxix) इस अधिनियम के अधीन आवेदनों और अपीलों के लिये संदेय फीसें और ऐसी फीसों के भुगतान की रीति ;
(xxx) कारखानों के दखलकारों, सहकारी समितियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा ईख की मांग-पर्चियों का वितरण ;
(xxxi) ईख की ठीक तौल, तौल के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, तौल की जांच, तौल का समय और रखे जाने वाले भारी यंत्रों की श्रेणी या प्रकार ;
(xxxii) पहुंच-मार्गों की व्यवस्था, तौल-स्थान पर ईख लानेवाली गाड़ियों के ठहरने की जगह, पशुओं तथा गाड़ीवानों के लिए छादन, पशुओं के लिए पानी की नादें तथा अन्य सम्बंधित बातें, और
(xxxiii) कोई अन्य बात, जिसका इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो ।

66. निरसन और व्यावृत्ति—(1) बिहार सुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल ऐक्ट, 1937 (बिहार अधिनियम संख्या 7, 1937) एवं बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 184, 1981) इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) इस अध्यादेश के प्रारंभ के पूर्व बिहार सुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट, 1937 (बिहार अधिनियम 7, 1937) या बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 184, 1981) या बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन, (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 76, सन् 1981) के अधीन या धारा 64 (2) राज्य विधि के अधीन की गई कोई बात या कारंवाई (भावी या भूतलक्षी प्रभाव से बनाए गए किसी नियम या जारी की गयी अधिसूचना, दिये गये आदेश, की गयी नियुक्ति, प्रारंभ की गयी कार्यवाही, निर्णीत या माध्यस्थ के लिये निर्देशित विवाद, प्रोद्भूत अधिकार या उपगत दायित्व संहित), उसके निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन की गयी समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध ऐसे सभी दायित्व समयों पर लागू रहे हों जब ऐसी बात या कारंवाई की गयी थी।